भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी

कोलकाता–700 087

अड़तालीसवीं वार्षिक रिपोर्ट

विषय–सूची

			पेज
1.	बोर्ड के निदेशकगण एवं लेखापरीक्षा समिति	...	2
2.	सूचना	...	5
3.	अध्यक्ष की कलम से	...	6
4.	निदेशकों का रिपोर्ट	...	9
5.	पांच वर्षों की रूपरेखा	...	34
6.	क्षेत्रीय कार्यालय	...	36
7.	लेखापरीक्षक का रिपोर्ट	...	37
8.	लेखा पर सीएजी की टिप्पणियां	...	52
9.	तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण, तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि खाता के अभिन्न अंग की लेखा टिप्पणियां	...	53
10.	व्यापार का लेखा :		
	(i) अन्तर्देशीय कच्चा जूट–मूल्य समर्थन	...	74
	(ii) अन्तर्देशीय कच्चा जूट–वाणिज्यिक	...	75
	(iii) जूट बीज	...	76
	(iv) विविध जूट उत्पाद (सोनाली)	...	76

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

बोर्ड के निदेशकगण

1.	श्री ए. के. जॉली	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.02.2019)
2.	श्री संजय शरण	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (14.02.2019)
3.	सुश्री शेरी लालथांगजो	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (14.02.2019)
4.	डा. एस. के. पांडा	:	गैर-सरकारी निदेशक (09.08.2018)
5.	डा. के. वी. आर. मूर्ति	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (02.07.2016 से 31.01.2019)
6.	श्री ए. एम. रेड्डी	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (23.03.2015 से 14.02.2019)
7.	श्रीमती बबनी लाल	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (18.06.2014 से 14.02.2019)
8.	सीए पी. दाशगुप्ता	:	निदेशक (वित्त) (03.11.2014 से 05.07.2018)

लेखापरीक्षा समिति

1.	डा. एस. के. पांडा	:	गैर-सरकारी निदेशक (09.08.2018), अध्यक्ष
2.	श्री संजय शरण	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (14.02.2019), सदस्य
3.	सुश्री शेरी लालथांगजो	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (14.02.2019), सदस्य
4.	श्री ए. के. जॉली	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.02.2019), सदस्य

सीएसआर समिति

1.	डा. एस. के. पांडा	:	गैर-सरकारी निदेशक (09.08.2018), अध्यक्ष
2.	सुश्री शेरी लालथांगजो	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (14.02.2019), सदस्य
4.	श्री ए. के. जॉली	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.02.2019), सदस्य

श्री ए. के. जॉली
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री एस. शरण
संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय

सुश्री शेरी लालथांगजो
आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय

डा. एस. के. पांडा
गैर-सरकारी निदेशक

श्रीमती स्मृति जूबीन इरानी, माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार को लाभांश का चेक सौंपते हुए श्री ए. के. जॉली, सीएमडी, भापनि साथ में उपस्थित श्री राघवेन्द्र सिंह, तत्कालीन सचिव, वस्त्र मंत्रालय।
श्री के. के. मजुमदार, उप महाप्रबंधक (परि./विप.) भी उपस्थित।

The Jute Corporation of India Limited
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

J C I ' s N E T W O R K

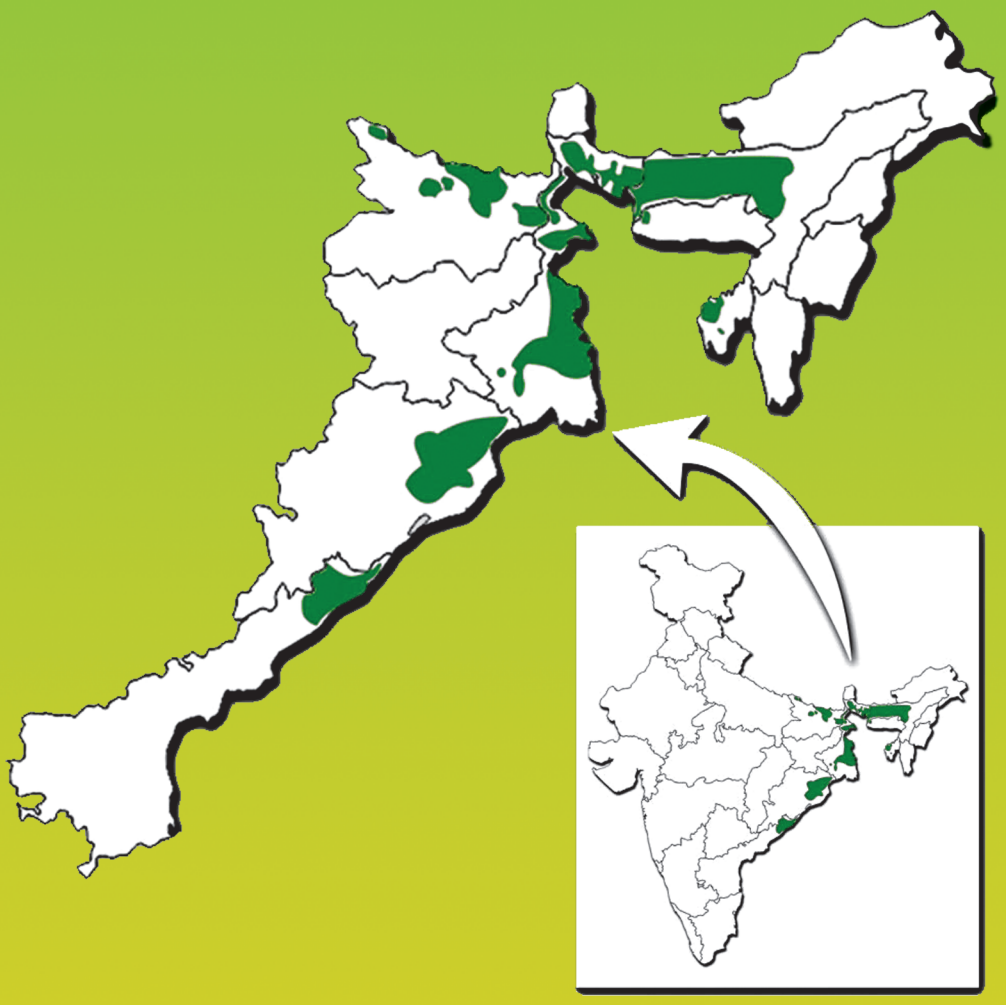

This map is for reference only, not to scale

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

सं. भापनि/48वीं एजीएम/सचिवालय/2019-20 दिनांक : 17.12.2019

48वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की अड़तालीसवीं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्य सम्पादित करने के लिए बुधवार, 18 दिसम्बर, 2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से उद्योग भवन, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110 011 में होगी।

सामान्य कारोबार

1. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणियों के साथ-साथ लेखापरीक्षकों एवं निदेशकों के प्रतिवेदन पर विचार करना एवं उसे पारित करना।

2. सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को नोट करना और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।

   निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा गया तो बिना किसी संशोधन के उसे पारित करना:

''**प्रस्तावित**
कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 139 के अनुसार मेसर्स एच. एस. भट्टाचार्जी एण्ड कं., सनदी लेखापाल को वर्ष 2019-20 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया है। इस अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत निगम के निदेशकगण को वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, आनुषंगिक खर्च, सांविधिक कर एवं अन्य संबंधित खर्च तय करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है एवं एतद्वारा किया जाता है।''

3. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति शेयर 69.60 रु. का लाभांश घोषित करना।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

टिप्पणी :

सदस्य जो अड़तालीसवीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित और वोट देने के हकदार हैं वे अपने तरफ से परोक्षी को उपस्थित और वोट देने के लिए नियुक्त कर सकते हैं (धारा 105)। परोक्षी को निगम का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी का एक रिक्त फार्म संलग्न है, यदि इसका उपयोग किया जाता है तो निगम को वार्षिक साधारण सभा प्रारम्भ होने के 48 घंटे पहले इसे विधिवत भरकर वापस किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष की कलम से

प्रिय सदस्यगण,

मैं भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के बोर्ड के निदेशकगण की ओर से निगम की 48वीं वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

मैं आप सभी लोगों को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जिनके अन्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहने के बावजूद सभा में उपस्थित हुए।

अब मैं निम्नलिखित बिंदुओं को स्पर्श करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निगम के कार्य-निष्पादन का संक्षिप्त रुपरेखा प्रस्तुत कर रहा हूं:

वित्तीय परिणाम

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निगम ने कर के उपरांत 1159.92 लाख रुपये का लाभ किया है। उत्पाद मिश्रण में बदलाव होने के कारण समीक्षाधीन वर्ष के लाभ में गिरावट हुआ है।

बाजार का परिदृश्य

2017-2018 से लाये गये 22.40 लाख गांठ जूट से फसल वर्ष 2018-19 का प्रारंभ हुआ। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार फसल की संभावना पर आधारित कच्चे जूट का कुल उत्पादन 72 लाख गांठ (180 कि.ग्रा. प्रति क्विं.) होने का पूर्वानुमान था। भारत सरकार के घोषणा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 200 रु. (रु.3700-रु.3500) की बढ़ोतरी की गई। वर्ष 2017-18 का वास्तविक उत्पादन 76 लाख गांठ की तुलना में इस वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन उपरोक्त में दर्शाये गये पूर्वानुमान के अनुसार अर्थात् 72 लाख गांठ रहा एवं बंग्लादेश से 3.00 लाख गांठ जूट का आयात किया गया। इसमें से अनुमानित मिल खपत 68 लाख गांठ की जगह वास्तविक मिल खपत 69 लाख गांठ और घरेलू खपत 10 लाख गांठ रहा। इसलिए 18.40 लाख जूट गांठ अधिशेष रहा। ज्यादातर मौसम के दौरान फसल का मूल्य एमएसपी से अधिक रहा जिसके परिणामस्वरूप एमएसपी के अंतर्गत मंदगति से खरीददारी हुई। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण फसल वर्ष 2019-20 के लिए फसल की संभावना विगत वर्ष की तुलना में कम ही पैमाने पर होने वाला दिखता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रिया-कलाप

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष के आधार पर टीडीएन-3 के लिए (टीडी-5 के जगह) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संस्तुति की जिसे भारत सरकार ने फसल वर्ष 2018-19 के लिए 3700 रु. प्रति क्विंटल स्वीकार कर लिया। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2017-18 के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 200/- रु. प्रति क्विंटल अधिक था। इस क्रम में पटसन आयुक्त के कार्यालय ने घोषित एमएसपी पर आधारित कच्चे जूट के विभिन्न किस्मों और श्रेणियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत 1,08,519 गांठ कच्चे जूट की खरीददारी की।

2018-19 के लिए समझौता ज्ञापन

समझौता ज्ञापन 2018-19 का मूल्यांकन रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से लोक उद्यम विभाग के पास जमा किया गया है एवं उसके द्वारा प्रदत्त की जाने वाली श्रेणी का अभी भी इंतजार है और हम समझौता ज्ञापन 2018-19 के लिए सकारात्मक श्रेणी की आशा करते हैं। अनिवार्य पैरामीटर्स को प्राप्त करने में निगम का कार्य-निष्पादन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है।

कार्पोरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व

निगम एक लाभकारी संगठन होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर के क्रिया-कलापों को पूरा करने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा समय-समय पर परिचालित किए गए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम सीएसआर के क्रिया-कलापों में शामिल होने के लिए भी बाध्य है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निगम ने स्कूलों में स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविरों, स्वच्छ उत्पादन के नवाचार प्रक्रियाओं, 30 डीपीसीज/आरओज में नागरिक इंटरफेस क्षेत्रों की स्वच्छता अभियान में सुधार एवं बाजार सर्वेक्षण हेतु परियोजनाओं, डिजाइन का विकास एवं असम, बिहार, ओडिशा व पश्चिम बंगाल राज्य में वाणिज्यिक पैमाने पर जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन की वकालत के क्षेत्रों में सीएसआर क्रिया-कलाप किया है।

कार्पोरेट गवर्नेन्स

निगम अपने बुनयादी जरुरत को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम, 1956/2013 पर आधारित वर्तमान कार्पोरेट अनुभव और केन्द्र सरकार द्वारा जारी कार्पोरेट गवर्नेन्स से संबंधित संशोधित मार्ग-दर्शनों का अनुसरण करता है जो अनिवार्य है। इस वर्ष में भी निगम ने कार्पोरेट गवर्नेन्स से संबंधित अपनाये गये कार्यों को निदेशक रिपोर्ट में विस्तार से वर्णित किया है।

विशेष रूप से नई कंपनी अधिनियम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निगम अपने क्रिया-कलापों में अधिकतम पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कार्पोरेट व्यवहार को उन्नत करने का लगातार प्रयास करता रहा है जिसके अंतर्गत कार्पोरेट गवर्नेंस की अवधारण पूरी तरह से महत्व व सार्थकता के एक अलग स्तर पर बढ़ी है। जैसाकि विगत वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है, निगम के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई है जिनके सक्षम मार्गदर्शन से निगम को अधिक निपुण ढंग से कॉर्पोरेट गवर्नेन्स प्रैक्टिसेस को मजबूत करने में मदद मिली है।

मानव संसाधन प्रबंधन

निगम ने अपने कार्मिकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यावर्तन के माध्यम से अपना प्रयास जारी रखा है जिससे कि वे अपने वर्तमान कार्य में और अधिक सक्षम बन सके और वे भविष्य के औद्योगिक संबंध को बनाये रखने के लिए तैयार रहे।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण रहा।

आगे की ओर देखना

निगम हमेशा नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकास के सभी अवसर का लाभ उठाने के लिए बदलते परिदृश्य के साथ अपना तालमेल रखता है। तदनुसार प्रधान कार्यालय के साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़ते हुए कोलकाता में अपना मुख्य केन्द्र रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित एकीकृत नेटवर्क है जिसे युवा एवं समर्पित आईटी अधिकारियों की एक समूह द्वारा देखा जाता है।

जैसाकि विगत में बताया गया था, निगम ने अब आंचलिक कार्यालयों की प्रणाली को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। यह प्रणाली खरीद संबंधी क्रिया-कलापों, प्रशासकीय मुद्दों, इष्टतम कार्मिकों का उपयोग और संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ अच्छे संपर्क के रखरखाव के कुशल संचालन में बहुत मददगार साबित हुई है।

इसके अलावा, निगम का मोबाइल एप्लिकेशन ''जे-मैप'' अब पूर्ण परिपक्व हो चुका है और यह वास्तविक समय डेटा प्रसार और किसानों को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो रहा है।

निगम प्रमाणित जूट बीज के वितरण का कार्य भी करता है। इसके अलावा, निगम आई-केयर (जूट : उन्नत खेती एवं उन्नत रेटिंग अभ्यास) परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जिससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता और उपज के लिए प्रमाणित जूट बीज वितरित किए जाते हैं।

अंतिम लेकिन समाप्त नहीं, निगम लगातार जेडीपी और जियो टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में वैकल्पिक राजस्व के नए रास्ते तलाश रहा है जिससे कि सरकारी अनुदान पर अपनी निर्भरता को कम किया जा सके। इस दिशा में, मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि निगम ने वाणिज्यिक पैमाने पर जूट विविध उत्पाद (जेडीपी) के विपणन एवं विक्रय के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बनाया है। इसने विगत एक वर्ष में अपने ग्राहकों की संख्या काफी बढ़ाई है। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् (टीटीडी) में खोली गई नई दुकानों के माध्यम से लड्डू प्रसादम् के वितरण हेतु जूट बैगों की बिक्री एक प्रमुख सफलता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना पाइप लाइन में भी है जो ग्रामीण महिलाओं के लिए जूट आधारित कम लागत वाले सैनिटरी नैपकिन बनाने से संबंधित है। इस संबंध में प्रगति का उल्लेख आगामी रिपोर्टों में की जाएगी।

निगम अपने जेडीपी उत्पादों के लिए नए बाजारों का भी खोज कर रहा है और इस अभियान में कैंटॉन मेला में भाग लिया था जो 31 अक्टूबर - 4 नवंबर, 2018 के बीच पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में आयोजित हुआ था।

अभिस्वीकृति

मैं वस्त्र मंत्रालय, पटसन आयुक्त का कार्यालय, नेशनल जूट बोर्ड एवं जूट से संबंधित अन्य सभी निकायों के अधिकारियों को निगम के क्रिया-कलापों के लिए उनके पूर्ण सहयोग एवं संरक्षण हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

मैं इस सुअवसर का सदुपयोग करते हुए स्टॉफ यूनियनों एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो जूट कृषकों एवं संपूर्ण जूट सेक्टर से संबंधित निगम की प्रतिबद्धता बनाये रखने में अपना लगातार समर्थन देते रहे हैं।

ए. के. जॉली
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

निदेशकों का रिपोर्ट
वर्ष 2018-19

प्रिय शेयरधारीगण,

मैं बोर्ड के निदेशकगण की ओर से आपके समक्ष निगम के कार्य-निष्पादन से संबंधित 48वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट एवं 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों एवं उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

उपरोक्त दर्शाये गये अवधि के दौरान निगम के कार्यों का मुख्य क्रिया-कलाप नीचे दर्शाये जा रहे हैं :

1. कच्चे जूट की मांग-आपूर्ति का परिदृश्य

2017-2018 से लाये गये 22.40 लाख गांठ जूट से फसल वर्ष 2018-19 प्रारंभ हुआ। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार फसल की संभावना पर आधारित कच्चे जूट का कुल उत्पादन 72 लाख गांठ (प्रत्येक 180 कि.) होने का पूर्वानुमान था। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 200 रु. (रु.3700-रु.3500) की बढ़ोतरी हुई जैसाकि भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया। वर्ष 2017-18 का वास्तविक उत्पादन 76 लाख गांठ की तुलना में इस वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन उपरोक्त में दर्शाये गये पूर्वानुमान के अनुसार अर्थात् 72 लाख गांठ रहा एवं बंग्लादेश से 3.00 लाख गांठ जूट का आयात किया गया। इसमें से अनुमानित मिल खपत 68 लाख गांठ की जगह वास्तविक मिल खपत 69 लाख गांठ और घरेलू खपत 10 लाख गांठ रहा। इसलिए 18.40 लाख जूट गांठ अधिशेष हो जायेगा। अधिकांश मौसम के दौरान फसल का मूल्य एमएसपी से अधिक रहा जिसके परिणामस्वरूप एमएसपी के अंतर्गत मंदगति से खरीददारी हुई। फसल वर्ष 2019-20 के लिए फसल की संभावना जैसाकि जूट सलाहकार बोर्ड द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, वर्ष के शुरुआत में बहुत उत्साहजनक था, हालांकि जैसाकि अभी की स्थिति है, ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त अनुमान मुख्यत: प्रतिकूल मौसम की स्थिति होने के कारण अच्छा नहीं हो सकता है।

2. क्रिया-कलाप की समीक्षा

2.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रिया-कलाप

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष के आधार पर टीडीएन-3 के लिए (टीडी-5 के जगह) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संस्तुति की जिसे भारत सरकार ने फसल वर्ष 2018-19 के लिए 3700 रु. प्रति क्विंटल स्वीकार कर लिया। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2017-18 के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 200/- रु. प्रति क्विंटल अधिक था। इस क्रम में पटसन आयुक्त का कार्यालय ने घोषित एमएसपी पर आधारित कच्चे जूट के विभिन्न किस्मों और श्रेणियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत 1,08,519 गांठ कच्चे जूट की खरीददारी की। 31 मार्च 2019 तक के वार्षिक लेखा के अनुसार वर्ष 2018-19 के एमएसपी क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रय की मात्रा (180 कि. गांठ)	क्रय मूल्य (रु. लाख में)	परिचालन लागत (रु. लाख में)	विक्रय की मात्रा (गांठ)	विक्रय मूल्य (शुद्ध) (रु. लाख में)
1,08,519	6,678.86	270.81	2,14,813	15,544.36
अंतिम स्टॉक			46,303	2,600.02
कुल लाभ/(हानि) कर के उपरांत				881.91

2.2 वाणिज्यिक क्रिया-कलाप

31 मार्च 2019 तक के वार्षिक लेखा के अनुसार वर्ष 2018-19 के वाणिज्यिक क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्रय की मात्रा (180 कि. गांठ)	क्रय मूल्य (रु. लाख में)	परिचालन लागत (रु. लाख में)	विक्रय की मात्रा (गांठ)	विक्रय मूल्य (शुद्ध) (रु. लाख में)
	–	52.35	35,983	2,515.90
अंतिम स्टॉक	–	–	29,342	1,732.48
कुल लाभ/(हानि) कर के बाद	–	–	–	265.57

3. वित्तीय समीक्षा

3.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत लगभग 1,08,519 गांठ कच्चे जूट की खरीददारी की।

3.2 वर्ष 2018-19 के दौरान निगम का कुल कारोबार 18,433 लाख रु. का रहा। परिचालन परिणाम यह दर्शाता है कि कर एवं सभी स्थायी खर्च, भाड़ा, बीमा, ब्याज, मूल्यह्रास और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की छुट्टी भुनाने का लाभ के प्रावधान प्रभार के बाद शुद्ध लाभ 1,159.92 लाख रु. का हुआ है। प्रस्तावित लाभांश एवं उस पर वितरण कर जो 419.53 लाख रु. आता है, पर विचार करने के उपरांत एवं आरक्षित एवं अधिशेष में शेष लाभ को स्थानांतरित करने के बाद वर्ष के अंत में तुलन-पत्र के उक्त खाता में 13,150.37 लाख रु. दर्शाया गया है।

3.3 समीक्षाधीन के अंतर्गत इस वर्ष के वित्तीय परिणाम को परिशिष्ट 'ए' में दिखाया गया है।

3.4 विगत वर्ष के लाभ राशि 1,768.20 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष कर के उपरांत 1,159.92 लाख रु. का लाभ हुआ है।

3.5 2018-19 में कंपनी का अर्जित प्रति शेयर (अंकित मूल्य 100 रु.) विगत वर्ष की राशि 354 रु. की तुलना में 232 रु. है।

3.6 निगम के पास प्रत्येक वर्ष 110 करोड़ रु. से अधिक का समुचित कच्चे जूट का कारोबार करने के लिए आधारभूत ढांचा एवं आवश्यक कार्यकारी पूंजी सीमा है।

3.7 प्रस्तावित लाभांश विगत वर्ष की राशि 638.50 लाख रु. की तुलना में 419.53 लाख रु. है जिसमें उसपर होने वाला कर शामिल है।

4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप के लिए निगम के आधारभूत ढांचा के रख-रखाव हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना

जैसाकि आप जानते हैं, निगम कच्चे जूट के लिए भारत सरकार का मूल्य समर्थन एजेंसी है। इसकी स्थापना अप्रैल 1971 में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद के माध्यम से मुख्य रूप से जूट कृषकों के हितों की रक्षा करने के लिए हुई एवं जूट कृषकों व संपूर्ण जूट अर्थव्यवस्था के हितों के लिए कच्चे जूट के बाजार मूल्य को संभव सीमा तक स्थिर करने के लिए भी हुई।

मार्जिनल कृषकों को लाभ दिलाने एवं कच्चे जूट के एमएसपी क्रिया-कलाप का संचालन करने हेतु भापनि को उसकी आधारभूत संरचना का रख-रखाव करने के क्रम में वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है जिससे वह अपने निर्धारित बंधे

खर्च का वहन कर सके। निदेशकगण ने विगत अवसर पर जानकारी दी थी कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए 100 करोड़ रु. के अनुदान का अनुमोदन किया है। उपरोक्त में दर्शाये गये अनुमोदित अनुदान में से निगम ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 7.5 करोड़ रु. एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 7.90 करोड़ रु. प्राप्त कर चुका है।

तथापि वस्त्र मंत्रालय के अनुपूरक अनुदान (आरई) के 1ली बैच में सितम्बर, 2019 में सचिव, वस्त्र की अध्यक्षता में फिलहाल संपन्न बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार भापिन हेतु अनुमोदित बजट के अनुसार अतिरिक्त धनराशि 84.60 करोड़ रु. का आवंटन होगा जिसमें वित्तीय वर्ष 2918-19 के दौरान अल्प आवंटन राशि 42.50 करोड़ रु. शामिल है।

5. समझौता ज्ञापन (मउ) 2018-19

निगम को वर्ष 2017-18 हेतु समझौता ज्ञापन में ''अच्छा'' ग्रेड प्राप्त हुआ जो विगत वर्ष की ग्रेडिंग की तुलना में सुधार हुआ है। संबंधित वित्तीय वर्ष (2017-18) का कुल कारोबार विगत वर्ष के कुल कारोबार का लगभग तीन गुणा था। उपरोक्त समझौता ज्ञापन के गैर-वित्तीय पैरामीटर्स को प्राप्त करने में निगम का कार्य-निष्पादन भी काफी अच्छा था।

समझौता ज्ञापन (मउ) 2018-19 के अंतर्गत निगम को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को पूरा करने की जिम्मेदारी है:

(ए) अन्य पैरामीटर्स

(i) विगत वर्ष की तुलना में खुले जूट से गांठ बनाने के लिए परिचालन के समय में कमी - निगम ने खुले जूट से गांठ बनाने के लिए परिचालन के समय को घटाकर 25 दिन करने का प्रबंधन किया है।

(ii) अन्य सेक्टर विशिष्ट परिणाम-उन्मुख मापनीय पैरामीटर्स - पंजीकृत कृषकों की संख्या के साथ आई-केयर परियोजना और आधार के साथ लिंक - इस पैरामीटर में निगम उपरोक्त में दर्शाये गए पंजीयन को कृषकों के संबंधित आधार संख्या से जोड़ने की शर्त को पूरा करते हुए 82,000 कृषकों को सफलतापूर्वक पंजीकृत करने में कामयाब रहा।

(बी) एचआरएम पैरामीटर्स

(i) जन क्षमता परिपक्वता मॉडल (पीसीएमएम) या सीपीएसई में इसके समकक्ष के अनुरूप स्तर का निर्धारण और बोर्ड के समक्ष निर्णय लेने के लिए इस मामले को रखना कि क्या स्तर में उन्नत करने के लिए जाना है और यदि हां तो बोर्ड से समय-सीमा का अनुमोदन प्राप्त करना है। यदि नहीं तो बोर्ड के संकल्प में औचित्यपूर्ण कारण दर्ज किया जाए।

- बोर्ड के समक्ष 13.12.2018 को आयोजित उनकी 250वीं बैठक में एक वैकल्पिक पीसीएमएम मॉडल रखा गया था तब बोर्ड ने उसका सैद्धांतिक अनुमोदन किया था।

(ii) ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) का कार्यान्वयन (ऑनलाइन कर्मचारी डेटा प्रशासन, कर्मचारी स्वयं सेवा, निकास प्रक्रिया, प्रतिभा प्रबंधन आदि को शामिल करते हुए) और वित्त के साथ इसका एकीकरण।

- बोर्ड के समक्ष 13.12.2018 को आयोजित उनकी 250वीं बैठक में सूचित किया गया था कि समझौता ज्ञापन 2018-19 के अंतर्गत लक्ष्य की आवश्यकता के अनुरूप एचआरएमएस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है और संबंधित एचआरएम प्रणाली के वेतन नामावली घटक को टैली ईआरपी को समाविष्ट करते हुए वित्त के साथ एकीकृत किया जा चुका है जिसे बोर्ड द्वारा विधिवत नोट किया गया था।

उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2018-19 के अन्य सभी एमओयू लक्ष्यों की मूल्यांकन मापदंड को निगम के वार्षिक लेखा में संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए परिलिक्षित किया गया है।

निदेशकगण आशावान हैं कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निगम का कार्य-निष्पादन अच्छे एमएसपी मौसम की उम्मीद के साथ और भी बेहतर होगा और राजस्व के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन करने के लिए किए जा रहे जेडीपी व्यापार व अन्य व्यवसाय जारी रहेगा।

6. विविध वाणिज्यिक क्रिया-कलाप

जैसाकि पहले बताया गया है, सोनाली जो विविध जूट उत्पादों के लिए निगम का बिक्री केन्द्र है, ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में सफलतावूर्वक भाग लिया है और निगम के जेडीपी विक्रय को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग साबित हुई है।

निगम ने राजस्व के वैकल्पिक श्रोतों के अपने अथक खोज में तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् में प्रसाद वितरण के लिए एल्यूमीनियम लेपित पर्यावरण हितैषी जूट बैग बेचने की परियोजना शुरु की है। इस परियोजना की प्रारंभिक प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही है और निगम आशा करता है कि यह परियोजना भविष्य में राजस्व का एक बड़ी श्रोत होगी।

कुछ अन्य परियोजनाएं जैसे जूट जियो टेक्सटाइल्स और कम लागत वाले जूट आधारित सेनेटरी नैपकिन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करना भी पाइप लाइन में हैं जिसका विवरण इस रिपोर्ट के आगामी संस्करणों में प्रदान किया जाएगा।

7. सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण

देश में लाखों जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अवधारण को चालू किया है। इस योजना के अंतर्गत घोषित एमएसपी पर कच्चे जूट की खरीददारी की जाती है जब चालू बाजार मूल्य उपरोक्त घोषित एमएसपी पर रहता है या उससे कम रहता है। सरकार ने निगम को यह एमएसपी क्रिया-कलाप करने की जिम्मेदारी सौंपी है। निगम देश में कच्चे जूट का एमएसपी क्रिया-कलाप करने के लिए नोडल एजेंसी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, निगम ने विभिन्न परियोजनाओं को भी अपनाया है। निगम ने एक विक्रय केन्द्र, सोनाली का स्थापना किया है जिसके माध्यम से विशेषाधिकृत महिलाओं का जूट आधारित हस्तकला दिखाया व विक्रय किया जाता है। निगम ने प्रमाणित जूट बीज के वितरण में भी पहल किया है। इसके अलावा निगम ने आईकेयर (जूट: बेहतर खेती और उन्नत रेटिंग अभ्यास) परियोजना को भी अपनाया है। इस परियोजना का उद्देश्य कच्चे जूट के उत्पादन के लागत को कम करना है जबकि बेहतर मूल्य की प्राप्ति और मूल्य संवर्धन के लिए उत्पादकता एवं फाइबर की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस परियोजना में शामिल उन्नत कृषि पद्धतियां हैं - बीज ड्रील का उपयोग करते हुए लाइन बुवाई करना, निराई की लागत को कम करने के लिए हैंड वीडिंग के बजाय नेल वीडर द्वारा जूट में व्यापक प्रबंधन करना, गुणवत्ता वाले प्रमाणित जूट बीजों का वितरण करना।

इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित समर्थन का विस्तार किया गया है:

1. 100% प्रमाणित जूट बीज प्रदान करना (50% आर्थिक सहायता के साथ)।
2. बीज ड्रिल, नैल वीडर/साइकिल वीडर का उपयोग करते हुए यांत्रिक हस्तक्षेप के साथ कृषकों के खेतों में अपनाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से जूट की खेती प्रथा का प्रदर्शन।
3. रेशे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्राइज़ाफ सोना, एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम (नि:शुल्क) का उपयोग करते हुए माइक्रोबियल रेटिंग का प्रदर्शन/वितरण।

इस परियोजना के अंतर्गत 2005 से प्रत्येक वर्ष चरणबद्ध ढंग से क्रिया-कलाप किये जा रहे थे।

8. प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

(ए) उद्योग ढाँचा और विकास

फसल वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में कच्चे जूट का बाजार मूल्य एमएसपी के आसपास मंडराता रहा और यहां तक कि कुछ जगहों पर एमएसपी से ऊपर था। जिसके परिणामस्वरूप निगम ने एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत केवल औसत मात्रा में कच्चे जूट की खरीद कर सका। उसी समय निगम ने अपने कच्चे जूट के स्टॉक का निपटान करने के लिए अथक प्रयास भी किए जिससे परिणाम उत्कृष्ट कारोबार के रूप में रहा। उसका विवरण पैरा 2.1 में दर्शाये गये हैं।

(बी) सुअवसर एवं खतरा/जोखिम एवं इससे संबंधित

सुअवसर

* माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध की घोषणा करने से जूट कैरी बैग का प्रसार करने के लिए एक बहुत बड़ा सुअवसर है।
* तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् (टीटीडी): निगम ने लड्डू प्रसादम् के लिए जूट कैरी बैग की बिक्री हेतु दो स्टाल लगाए हैं। उसकी दैनिक बिक्री के आंकड़े बहुत ही उत्साहजनक हैं और निगम की इस पहल से टीटीडी परिसर में प्लास्टिक के उपयोग को वास्तव में कम करने की उम्मीद है।
* जियो टेक्सटाइल्स हेतु उभरती जरूरत है और भापिन ने 2 लाख वर्ग मीटर जूट की कुल आवश्यकताओं का पर्याप्त हिस्सा की आपूर्ति कर चुका है।
* पारंपरिक एमएसपी क्रिया-कलाप को बढ़ाने के लिए भापिन ने अपनी ओर से खरीददारी करने के लिए सहकारी समितियों को काम पर लगा रहा है जिससे परिमाण एवं कुल कारोबार दोनों ही बढ़ रहे हैं।

जोखिम एवं संबंधित/खतरा

* जबकि शासनादेश के अनुसार भापनि एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत सभी प्रकार के कच्चे जूट की खरीद करने के लिए बाध्य है जिसमें निम्न श्रेणी शामिल हैं, लेकिन इसका निपटान करते समय मिलें इस बहाने निम्न श्रेणी के जूट को लेने के लिए अनिच्छुक हैं कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देश के अनुसार इसका उपयोग बी.ट्वील बैग बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
* सेवानिवृत्ति के कारण प्रशिक्षित कार्मिकगण निरंतर कम होते जा रहे हैं।
* समय पर सरकारी अनुदान न मिलने के कारण बाजार को मौके पर कब्जा न कर पाने का जोखिम भी है।
* मौजूदा गोदाम भाड़ा बहुत कम हैं और मालिकगण अधिक भाड़ा की मांग कर रहे हैं या अपने परिसर को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में गोदामों को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है।

(सी) दृष्टिकोण

निगम ने कृषकों द्वारा एमएसपी पर प्रस्तावित होनेवाले सभी कच्चे जूट को खरीदने एवं भंडारण करने के लिए सभी कदम उठाए हैं। निगम आनेवाले वर्षों में अपने समग्र कार्य-निष्पादन को उन्नत करने के लिए सभी तरह के प्रयास लगातार करता रहेगा।

(डी) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी उपयुक्तता

निगम ने दक्ष संसाधन, लागत नियंत्रण, सांविधिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन और वित्तीय रिपोर्ट की विश्वासनीयता को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत और व्यापक विकास किया है। लेखापरीक्षा समिति

निगम के आंतिरक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय कार्य-निष्पादन का समीक्षा करती है और आंतिरक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव देती है।

(ई) परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय निष्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

* विगत वर्ष के दौरान 17,215.89 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट का क्रय 6,678.85 लाख रु. का रहा।
* विगत वर्ष के दौरान 21.48 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत कच्चे जूट का क्रय शून्य रहा।
* विगत वर्ष के दौरान 17,195.99 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट का विक्रय 15,544.35 लाख रु. का रहा।
* विगत वर्ष के दौरान 210.27 लाख रु. की तुलना इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट का विक्रय 2,515.89 लाख रु. का रहा।
* समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम का परिचालन लाभ (कर से पहले) 694.72 लाख रु. कम हुआ (2017-18 में 2,746.11 लाख रु. - 2018-19 में 2,051.38 लाख रु.)। यह मुख्यत: उत्पाद मिश्रण में बदलाव और कच्चे जूट की खरीद मूल्य में बढ़ोतरी के कारण है। कुल कारोबार विगत वर्ष जैसा समान स्तरों पर रहा।

(एफ) मानवीय स्त्रोत एवं औद्योगिक संबंध

निगम ने अपने कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने और उनके वर्तमान कार्य में उन्हें अधिक संसाधन युक्त बनाने के साथ-साथ भविष्य में भूमिका हेतु उन्हें तैयार करने के लिए प्रशिक्षण और कार्यवर्तन के माध्यम से अपना प्रयास जारी रखा है। इस संबंध में निगम ने ''गैर-वित्त हेतु वित्त'', सॉफ्ट स्किल्स, पेंशन एवं सेवानिवृत लाभ, एससी/एसटी रजिस्टर का रख-रखाव के क्षेत्रों में अपने 11 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण रहा।

(जी) सतर्कता विवरण

रिपोर्ट के इस भाग में दी गई विवरण ग्रहण और आगे की घटनाओं की अपेक्षाओं पर आधारित है। फिर भी वास्तविक परिणाम दर्शाये अथवा कार्यान्वित किये गये से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो भिन्न बना सकता है जिसमें सरकार द्वारा निगम को वित्तीय सहयोग में परिवर्तन, सरकारी विनियम में परिवर्तन, उद्योग में औद्योगिक संबंध का माहौल एवं अन्य कारक जैसे मुकदमेबाजी शामिल है।

9. कार्पोरेट का सामाजिक दायित्व

निगम एक लाभकारी संगठन होने के नाते वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर के क्रिया-कलापों को पूरा करने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा समय-समय पर परिचालित किए गए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम सीएसआर के क्रिया-कलापों में शामिल होने के लिए भी बाध्य है।

निगम ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में एक सीएसआर समिति का गठन किया है जिसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में डा. एस. के. पांडा, गैर-सरकारी निदेशक और इसके सदस्य के रूप में सुश्री शेरी लालथांगजो, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय एवं श्री अजय कुमार जॉली, सीएमडी, भापनि शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में गणना के अनुसार 40.00 लाख रूपये की राशि खर्च करना था। इस बजट में निगम ने निम्नलिखित क्रिया-कलाप करने के लिए चिह्नीत किये:

क्र.सं.	**क्रिया-कलाप**	**बजट (रु. लाख में)**
1.	स्कूलों में स्वच्छता अभियान	5.00
2.	डीपीसीज में आधुनिक पर्यावरण हितैषी रेटिंग प्रौद्योगिकी के साथ जूट संयंत्र का रेटिंग	1.00
3.	डीपीसीज/क्षे.का. में स्वच्छता अभियान	10.00
4.	विभिन्न क्षे.का./डीपीसीज में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन	9.00
5.	असम, बिहार, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में वाणिज्यिक पैमाने पर जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) हेतु बाजार सर्वेक्षण, डिजाइन का विकास एवं वकालत करने की परियोजनाएं	15.00
	कुलः	**40.00**

नोटः उपरोक्त में दर्शाये गये कुछ क्रिया-कलापें पहले ही की जी चुकी हैं जबकि अन्यान्य शीघ्र ही पूरी होने की प्रक्रिया में हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के सीएसआर के क्रिया-कलापों से संबंधित विवरण को **परिशिष्ट-सी** के रूप में दिया गया है।

10. कार्पोरेट गवर्नेंस

(ए) 1971 में निगम को कंपनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) के अंतर्गत प्राइवेट लिमिटेड सरकारी कंपनी के रूप में समाविष्ट किया गया था जिसका मूल उद्देश्य था कि जब कच्चे जूट का बाजार मूल्य एमएसपी पर या उसके नीचे रहेगा तब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीददारी कर जूट कृषकों को पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करना। वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) द्वारा दी गयी निधि का उपयोग एमएसपी क्रिया-कलाप का संचालन करने के लिए किया जाता है जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि इस निधि का सही ढंग से उपयोग हो। निगम यह लगातार ध्यान रखता है कि राजकोष के उपयोग में सुधार करते हुए अधिकतम पारदर्शिता एवं जवाबदेही रहे।

(बी) 31.3.2019 तक के निदेशक मण्डल - निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के अनुसार सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की कुल सं.	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकों की सं.	बोर्ड की बैठकों में उपस्थित	क्या विगत एजीएम में उपस्थित रहे (28.09.2018)
1.	श्री अजय कुमार जॉली (डीआईएन:08427305) (01.02.2019 से)	सीएमडी	4	1	1	–
2.	श्री संजय शरण (डीआईएन:08131112) (14.02.2019 से)	सरकारी निदेशक	4	1	1	–
3.	सुश्री शेरी लालथांगजो (डीआईएन:08427300) (14.02.2019 से)	सरकारी निदेशक	4	1	1	–
4.	डा. एस. के. पांडा (डीआईएन:02586135) (09.08.2018 से)	गैर–सरकारी निदेशक	4	3	2	–
5.	डा. के.वी.आर. मूर्ति (डीआईएन:07628725) (31.01.2019 तक)	सीएमडी	4	3	3	हां
6.	श्री ए. एम. रेड्डी (डीआईएन: 06633791) (14.02.2019 तक)	सरकारी निदेशक	4	3	2	–
7.	श्रीमती बबनी लाल (डीआईएन: 06952358) (14.02.2019 तक)	सरकारी निदेशक	4	3	–	–
8.	सीए. पी. दाशगुप्ता (डीआईएन: 07059472) (05.07.2018 तक)	निदेशक (वित्त)	4	1	1	–

बोर्ड की बैठक की तिथि: 26.06.2018, 28.09.2018, 13.12.2018 एवं 14.03.2019

(सी) 31.03.2019 तक लेखापरीक्षा समिति – निगम की मूल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे कार्पोरेट अनुभव का अनुसरण करने के लिए अधिनियम की धारा 292ए एवं इससे संबंधित प्रासंगिक/अनुषंगिक विनियम के अनुसार 2001 में निगम के लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया। इस लेखापरीक्षा समिति में दो सदस्य हैं।

वर्तमान समिति में निम्नलिखित समाविष्ट है:

1. डा. एस. के. पांडा, गैर–सरकारी निदेशक – अध्यक्ष

2. श्री संजय शरण, सरकारी निदेशक – सदस्य

3. सुश्री शेरी लालथांगजो, सरकारी निदेशक – सदस्य

4. श्री अजय कुमार जॉली, सीएमडी – सदस्य

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

इस समिति से संबंधित शर्त्तों का संक्षिप्त ब्यौरा है :

(ए) कंपनी के वित्तीय विवरणी एवं अन्य रिपोर्टों का समय-समय पर समीक्षा करना।

(बी) मुख्यत: निम्नलिखित पर प्रकाश डालते हुए वार्षिक वित्तीय विवरणियों एवं रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।

(i) लेखाकरण नीतियों एवं पद्धतियों में कोई परिवर्तन करना।

(ii) लेखापरीक्षा द्वारा उठाने पर योग्यताओं एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं का समायोजन करना।

(iii) सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय ग्रहण करना।

(iv) लेखा मानकों का अनुपालन करना।

(v) प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों से संबंधित तथ्य का आदान-प्रदान करना।

(vi) लेखापरीक्षा शुल्क नियत करने के लिए बोर्ड के पास संस्तुति करना।

(vii) सांविधिक लेखा परीक्षाकों को उनके द्वारा दी गई कोई अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन करना।

(viii) बोर्ड में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ समीक्षा करना एवं यह सुनिश्चित करना कि कंपनी की वार्षिक वित्तीय विवरणियां और लेखापरीक्षा लागू कानून, विनियम एवं कम्पनी के नीतियों के अनुसार है।

(ix) आंतरिक लेखा परीक्षकों का कार्य निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

(x) निगम के किसी भी कर्मचारी से सूचना लेने का प्रयास करना।

(xi) यदि आवश्यक हुआ तो बाहर से कानूनी या किसी दूसरे विषेषज्ञों की सहायता सुनिश्चित करना।

(xii) लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता को मजबूत करते हुए विरोधों को कम करना।

(xiii) आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम वाले प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए सुनिश्चित करना।

(xiv) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया अथवा बाहरी लेखा परीक्षकों को अनियमितताओं की जानकारी देने वाले कर्मचारियों एवं अन्यान्य को संरक्षण देना (पहरेदारों को संरक्षण देना)।

(xv) प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं वित्तीय स्थिति व क्रिया-कलाप के परिणाम के विश्लेषण का समीक्षा करना।

(xvi) प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्य-प्रणाली, रिपोर्ट करने की संरचना एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतराल की समीक्षा करना।

(xvii) कंपनी के वित्तीय एवं अन्य प्रबंधन के नीतियों की समीक्षा करना।

ऐसे अन्य विषयों का निपटारा करना जिसे बोर्ड द्वारा लिखित रूप में इनके पास भेजा जाता है या संगठन के हित में इसे आवश्यक समझा जाता है।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की कुल सं.	निदेशक के कार्यकाल के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित
1.	डा. एस. के. पांडा (09.08.2018 से)	गैर-सरकारी निदेशक	4	3	2
2.	श्री संजय शरण (14.02.2019 से)	सरकारी निदेशक	4	1	1
3.	सुश्री शेरी लालथांगजो (14.02.2019 से)	सरकारी निदेशक	4	1	1
4.	श्री अजय कुमार जॉली (01.02.2019 से)	सीएमडी	4	1	1
5.	डा. के.वी.आर. मूर्ति (31.01.2019 तक)	सीएमडी	4	3	3
6.	श्री ए. एम. रेड्डी (14.02.2019 तक)	सरकारी निदेशक	4	3	2
7.	श्रीमती बबनी लाल (14.02.2019 तक)	सरकारी निदेशक	4	3	–

लेखापरीक्षा समिति की बैठक की तिथि : 26.06.2018, 28.09.2018, 13.12.2018, एवं 14.03.2019

डी) साधारण निकाय की बैठकें :

क्र. सं.		2015-16 (45वीं एजीएम)	2016-17 (46वीं एजीएम)	2017-18 (47वीं एजीएम)
1.	तिथि	29.09.2016	10.10.2017	28.09.2018
2.	समय	अपराह्न 4.00 बजे	अपराह्न 5.00 बजे	अपराह्न 1.00 बजे
3.	स्थान	इस निगम के पंजीकृत कार्यालय, कोलकाता	इस निगम के पंजीकृत कार्यालय, कोलकाता	उद्योग भवन, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली

ई) प्रकटन :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013, लेखाकरण मानक पद्धति एवं अन्य लागू अधिनियम/नियम के अंतर्गत प्रकटन अपेक्षित है।

(ii) विगत तीन वर्षों के दौरान निगम पर किसी भी तरह का दंड/अवक्षेप नहीं लगाया गया है।

(iii) कर्मचारीगण अपने पर्यवेक्षकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पास नियम/विनियम के उल्लंघन का रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(iv) मार्ग-दर्शन में विनिर्दिष्ट बिन्दुओं का यथासंभव अनुपालन किया गया है।

(v) केन्द्र सरकार द्वारा जारी अध्यक्षीय निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(vi) कोई भी ऐसे खर्च को लेखा खाता में नहीं दर्शाया गया है जो व्यवसाय से संबंधित नहीं हैं।

(vii) व्यक्तिगत खर्च का वहन नहीं किया गया है किन्तु बैठकों से संबंधित निदेशकों के लिए आवासीय प्रभार आदि के रूप में खर्च किया गया है।

(viii) अन्य सूचना :

(i) बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकें एवं कार्यवाही –

प्रत्येक वर्ष बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम बैठकें की जाती हैं जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है। बोर्ड के समक्ष साधारणत: निम्नलिखित सूचनाएँ रखी गई :

(ए) कार्यवृत की पुष्टि।
(बी) अनुवर्ती कार्रवाई।
(सी) कच्चे जूट के विपणन से संबंधित रिपोर्ट।
(डी) जूट बीजों का वितरण।
(ई) जूट टेक्नोलॉजी मिशन (एम एम-III) की प्रगति से संबंधित रिपोर्ट।
(एफ) कानूनी मामलें।
(जी) सतर्कता से संबंधित रिपोर्ट।
(एच) सांविधिक अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट।
(आई) वार्षिक लेखा।
(जे) लेखापरीक्षक।

(ii) **बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची** – बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तिथियां निर्धारित होने पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक विभागीय प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श करते हैं एवं निदेश देते हैं कि कार्यसूची से संबंधित कागजात कंपनी सचिव के पास निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा कर दी जाय। कार्यसूची से संबंधित कागजात निदेशकों/सदस्यों के पास भेजी जाती है। ठीक वैसे ही बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त निदेशकों/सदस्यों के पास उनके विचारार्थ भेजी जाती है।

(iii) **विगत बैठक से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई की क्रियाविधि** – बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में विगत बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त में दर्ज निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श की जाती है।

(iv) **बोर्ड/समिति की बैठकों में कार्यवृत्त की रिकार्डिंग** – कंपनी सचिव प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड करता है। अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन होने के बाद उसे सभी निदेशकों/सदस्यों के पास परिचालित किया जाता है। तत्पश्चात् बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में इस कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है एवं तदनुसार उसे कार्यवृत्त बही में दर्ज की जाती है।

(एफ) तिमाही रिपोर्ट

निगम ने वस्त्र मंत्रालय के पास कार्पोरेट गोवर्नेंस के अंश के रूप में लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुबंधित निर्धारित फार्मेट में तिमाही रिपोर्ट फाइल करता है। एक समेकित रिपोर्ट भी डीपीई के पास भेजा जाता है।

(जी) बोर्ड के सदस्यगण एवं वरिष्ठ प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन हेतु व्यापार, आचरण एवं नीति संहिता का अंगीकरण – कार्पोरेट गोवर्नेंस के अंश के रूप में धोखेबाजी रोकथाम नीति एवं सीटी बजानेवाला नीति :

निगम ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेस (सीपीएसईज) के कॉर्पोरेट गोवर्नेंस के मार्ग-दर्शन के आधार पर आचरण-संहिता, जोखिम प्रबंधन – धोखेबाजी रोकथाम नीति एवं सीटी बजानेवाला नीति विकसित किया है जिसे बोर्ड के निदेशकगण द्वारा अपनाया गया है। प्रत्येक नीति की एक प्रति वेब-साइट : www.jci.gov.in पर रखा गया है।

11. लाभांश

भारत सरकार के निदेशानुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकगण ने अपने शेयरहोल्डर अर्थात् भारत सरकार को प्रति शेयर 69.60 रु. (विगत वर्ष 106.10 रु.) के हिसाब से लाभांश का भुगतान की संस्तुति करने के लिए विचार

किये हैं। लाभांश के रूप में कर सहित कुल 4,19,53,240 रु. (विगत वर्ष 6,38,49,731 रु.) होगा। लाभांश का भुगतान निगम के आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

12. 48 वर्षों में वित्तीय निष्पादन का परिदृश्य

48 वर्षों के दौरान प्रारंभ से 2018-19 तक निगम की वित्तीय निष्पादन का एक सूक्ष्म-वीक्षण परिशिष्ट-''बी'' में दिया गया है जो लाभ-हानि और आर्थिक सहायता के लेखा-जोखा से संबंधित है।

13. निदेशकगणों के दायित्वपूर्ण वक्तव्य

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निगम के बोर्ड के निदेशकगण पुष्टि करता है कि :

1. वार्षिक लेखों की तैयारी करने में सामग्री को छोड़ने के सदर्भ में यदि कुछ होता है तो उचित व्याख्या के साथ लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है जैसाकि अलग से लेखाकरण नीति के टिप्पणियों में दर्शाया गया है।
2. उन्होंने ऐसी ही लेखाकरण नीतियों को चुना है और उसे संगतिपूर्वक लागू किया है और उचित एवं विवेक से निर्णय एवं अनुमानित किया है जिससे 31 मार्च, 2019 तक निगम की कार्य प्रणाली एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि के दृष्टिकोण से एक सच्ची एवं स्वच्छ तस्वीर दिखाई देता है।
3. कंपनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने एवं धोखा और अन्य अनियमिताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए उन्होंने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड्स के रख-रखाव को उचित ढंग से रखा है।
4. उन्होंने सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है।
5. कंपनी सूचीबद्ध नहीं होने के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को रखने हेतु इस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) का उप खंड(ई) लागू नहीं है।
6. उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां तैयार किया है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हैं।

14. लेखा पर लेखापरीक्षा के मंतव्य एवं वक्तव्य

समीक्षाधीन वर्ष के लिए निगम के लेखा पर कंपनी अधिनियम 2013, संशोधित, के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों का मंतव्य प्रस्तुत किया जा रहा है।

15. मानवीय श्रोत प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध

निगम ने अपने कर्मचारियों के ज्ञान में इजाफा तथा नवीनतम विकास के साथ तालमेल रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यक व्यवस्था की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम के कुल 11 कर्मचारीगण 'गैर-वित्त हेतु वित्त' से संबंधित प्रशिक्षण में गये। निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण है।

16. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

निगम में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सख्ती से की जाती है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) नामित किये गये हैं। मांगी गई सूचना निर्धारित समय के अंदर दी जाती है।

17. मानव शक्ति

31.03.2019 तक निगम में 210 नियमित एवं 116 आकस्मिक कर्मचारीगण थे।

18. अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.जा. की स्थिति

31.03.2019 तक निगम में स्थायी कर्मचारियों के रूप में अनु.जा. की सं. 30, अनु.ज.जा. की सं.14 और अ.पि.जा. की सं.16 थे।

19. परिवार कल्याण

परिवार कल्याण के सम्बन्ध में निगम ने समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने के लिए सभी तरह का प्रयास किया है।

20. यौन उत्पीड़न संबंधी सरकारी निदेशों का अनुपालन

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोप) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगम ने एक समिति का गठन किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति को कोई शिकायत नहीं मिली है।

21. विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु निगम द्वारा उठए गए कदमों का संक्षिप्त ब्यौरा

यद्यपि शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई बजटीय नियतन नहीं है (ऐसी कोई विनिर्दिष्ट योजना निगम को नहीं सौंपी गई है) परन्तु उनके लिए वाहन भत्ता पर खर्च की इजाजत दी गई है जो सामान्य मामले में भुगतान की गई वाहन भत्ता की राशि से दोगुना है। इसके फलस्वरूप 31.03.2019 तक निगम के 13 (तेरह) शारीरिक विकलांग कर्मचारीगण लाभान्वित हो रहे हैं।

22. राजभाषा का प्रचार-प्रसार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्यक्रमों के अनुसार निगम राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करता आ रहा है। निगम के प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारीगण हिन्दी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। 14 सितम्बर, 2018 को हिन्दी दिवस मनाया गया और 1 सितम्बर, 2018 से 13 सितम्बर, 2018 के बीच हिन्दी पखवाड़ा का भी आयोजन किया जिसमें प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी प्रतियोगिताओं तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और निगम में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भाग लेनेवाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। हिंदी दिवस को लक्ष्य कर निगम के प्रधान कार्यालय में हिंदी में संगीत का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका निगम के कर्मचारियों एवं अतिथियों ने आनंद लिया। राजभाषा के रूप में हिन्दी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से तिमाही बैठकें हो रही हैं एवं बोर्ड को उनकी बैठक में इसकी प्रगति के बारे में लगातार सूचित किया जा रहा है। निगम को अप्रैल, 2019 में सोलन, हिमाचल प्रदेश में राजभाषा संस्थान द्वारा ''कार्यालय ज्योति स्मृति चिह्न'' से सम्मानित किया गया है जिससे समीक्षाधीन अविध के दौरान राजभाषा के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में निगम ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त किया।

23. विजिलेंस जागरूकता कार्यक्रम

29.10.2018 से 03.11.2018 तक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया। उक्त सप्ताह के दौरान प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय/आंचिलक कार्यालयों में निगम के कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी की प्रतिज्ञा ली गई। कर्मचारियों द्वारा सीवीसी वेबसाइट के माध्यम से ई-प्रतिज्ञा भी ली गई। सतर्कता के महत्व का प्रचार करने वाले पोस्टरों को निगम के कार्यालयों के आसपास चिपकाए गए। सतर्कता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बैनर भी प्रदर्शित किए गए। सतर्कता सप्ताह के अंतिम दिन श्री सुनील कुमार शर्मा, उप महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे को सतर्कता से संबंधित मौजूदा मुद्दों पर अपने विचार साझा करने और निगम के कर्मचारियों को उसके बारे में बताने के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

24. बोर्ड के निदेशकगण

श्री अजय कुमार जॉली ने 01.02.2019 को निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में ज्वाइन किया। श्री संजय शरण, संयुक्त सचिव (फाइबर), वस्त्र मंत्रालय और सुश्री शेरी लालथांगजो, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय ने 14.02.2019 को सरकारी नामित निदेशक के रूप में निगम के बोर्ड में ज्वाइन किया इसके अलावा डा. के. वी. आर. मूर्ति, निगम के पूर्व सीएमडी ने 31.01.2019 को अपना कार्यालय छोड़ दिया और श्री ए.एम. रेड्डी, पूर्व संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय और श्रीमती बबनी लाल, पूर्व आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय ने 14.02.2019 को अपने कार्यालयों को छोड़ दिया। बोर्ड ने डा. मूर्ति, श्री रेड्डी और श्रीमती लाल द्वारा निगम के निदेशकगण के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं के लिए उनकी सराहना की।

25. वार्षिक विवरण का सार

फार्म सं. एमजीटी-9
वार्षिक विवरण का सार
31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन)
नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा

(i)	सीआईएन	यू17232डब्ल्यूबी1971जीओआई027958
(ii)	पंजीकरण तिथि	02.04.1971
(iii)	कंपनी का नाम	भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
(iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	शेयर/संघ सरकार कंपनी द्वारा कंपनी लिमिटेड
(v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा	15एन,नेली सेनगुप्ता सरणी, 7वां तल, कोलकाता-700087 दूरभाष: 033 2252 7027/7028 फैक्स: 91 33 2252 1771/7390
(vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है हां/नहीं	नहीं
(vii)	रेजिस्ट्रर और हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा, यदि कुछ हो	लागू नहीं

II. कंपनी का प्रधान व्यापार का क्रिया-कलाप

सभी व्यापार के क्रिया-कलाप जिसमें कंपनी के कुल कारोबार का 10% अथवा उससे अधिक का अंशदान कर रहा है, को दर्शाया जाय:

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
(i)	जूट बीज, जूट और इससे संबंधित उत्पादों का व्यापार और वितरण		100%

III. होल्डिंग, सहायक और सह कंपनियों का ब्यौरा

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/ सह	रखे गये शेयरों की %	लागू धारा
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IV. शेयर होल्डिंग पेटर्न (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	
ए. प्रोमोटर्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(1) भारतीय									
ए) व्यक्तिगत/एचयूएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) केन्द्र सरकार	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
सी) राज्य सरकार (रों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) निकायों कार्पोरेट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(1)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
(2) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) एनआरआईज-व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) अन्य - व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) निकायों कार्पोरेट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रोमोटर का कुल शेयर होल्डिंग (ए) =(ए)(1)+(ए)(2)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
बी. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग									
1. संस्थानों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) म्यूचुअल फंड्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) राज्य सरकार (रों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) बीमा कंपनियों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जी) एफआईआईज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एच) विदेशी वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आई) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	
2. गैर संस्थानों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) निकायों कार्पोरेट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. तक है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. से अधिक है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयर होल्टिंग (बी)= (बी)(1)+(बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी. संरक्षक द्वारा जीडीआर्स व एडीआर्स हेतु रखे गये शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (ए+बी+सी)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य

(ii) प्रोमोटरों का शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर			वर्ष के अंत में रखे गये शेयर			वर्ष के दौरान रखे गये शेयर में % परिवर्तन
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	500000	100	शून्य	500000	100	शून्य	शून्य
	कुल	500000	100	शून्य	500000	100	शून्य	शून्य

(iii) प्रोमोटरों के शेयर होल्टिंग में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया उल्लेख करें)

क्र.. सं.		वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	बढ़ोतरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रोमोटरों के शेयर होल्टिंग में तिथिवार बढ़ोतरी/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों के शेयर होल्टिंग पेटर्न (निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर्स व एडीआर्स के धारकों के अलावा)

क्र. सं.	भारत के राष्ट्रपति	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शोयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	500000	100	500000	100
	बढ़ोतरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्टिंग में तिथिवार बढ़ोतरी/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(v) निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के शेयर होल्डिंग

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बढ़ोतरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्टिंग में तिथिवार बढ़ोतरी/कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. कर्जदारी

ब्याज का बकाया/अर्जित सहित कंपनी की कर्जदारी परंतु भुगतान हेतु बकाया नहीं

	जमा राशि को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशि	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
(i) मूल राशि	3658.98 लाख रु.			3658.98 लाख रु.
(ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i)+(ii)+(iii)	3658.98 लाख रु.	शून्य	शून्य	3658.98 लाख रु.
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन				
* बढ़ोतरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
* कटौती	3653.70 लाख रु.	शून्य	शून्य	3653.70 लाख रु.
शुद्ध परिवर्तन	3653.70 लाख रु.	शून्य	शून्य	3653.70 लाख रु.
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी				
(i) मूल राशि	5.27 लाख रु.	शून्य	शून्य	5.27 लाख रु.
(ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i)+(ii)+(iii)	5.27 लाख रु.	शून्य	शून्य	5.27 लाख रु.

VI. निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक

निगम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइज (सरकारी कंपनी) होने के नाते निदेशकगण दोनों कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी की नियुक्ति एवं कार्य निष्पादन का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

VII. अपराधों का दंड/सजा/समझौता

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त ब्यौरा	लगाये गये दंड/सजा/समझौता फीस का ब्यौरा	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील की गई, यदि कुछ हो (ब्यौरा दें)
ए. कंपनी					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी. निदेशकों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी. चूक में अन्य अधिकारियों					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

26. उर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का उपार्जन व व्यय

निगम हमेशा ऊर्जा के संरक्षण के सकारात्मक प्रभावों के प्रति सचेत रहा है और इस संबंध में वह ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए हमेशा ग्रहणशील रहा है। इस दिशा में अपने सभी कार्यालयों में एलसीडी लाइटों (बल्ब/ट्यूब) को एलईडी लाइटों द्वारा बदल दिया गया है। अपने कई क्षेत्रीय कार्यालयों/आरएलडीज और डीपीसीज में सौर लाइट प्रणाली शुरु की गई है। निगम के कार्यालयों में सभी विद्युत उपकरणें कार्य-समय के उपरांत अनिवार्य रूप से बंद हो जाती हैं। कार्यालय उपयोग के लिए विद्युत उपकरण चुनते समय उसकी ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित की जाती है। निगम सभी कार्यालयों में बिजली की खपत को कम करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। अंतत: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी ''अनुशंसित इष्टतम तापमान सेटिंग के माध्यम से विल्डिंग स्पेस कूलिंग में ऊर्जा संरक्षण'' से संबंधित दिशा-निदेशों का पालन करने के लिए वस्त्र मंत्रालय के सलाह के अनुसार निगम 24° सेंटीग्रेड पर एसी मशीनों के तापमान को समायोजित करते हुए 24.-25° सेंटीग्रेड पर अपने कार्यालयों का आंतरिक तापमान बनाए रखने का प्रयास करता है।

27. विदेश दौरा

निगम ने हमेश राजस्व सृजन के नए रास्ते तलाशने के लिए प्रयास किया है और जब भी अपने उत्पादों के लिए नए बाजारों को पकड़ने का कोई भी सुअवसर मिला है तो अपने को प्रस्तुत किया है एवं निगम ने उसे भुनाने के लिए अपना सबसे अच्छा कदम रखा है। इस दिशा में सीएमडी, भापिन ने निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चीन आयात और निर्यात मेला में भापनि का प्रतिनिधित्व किया जो कैंटन मेला के रूप में भी जाना जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने मेलों में से एक है व इसकी स्थापना 1957 में हुई। इस मेला की मेजबानी पीआरसी के वाणिज्य मंत्रालय और गुआंग्डोंग प्रांत की जन सरकार द्वारा की गई और चीन के विदेश व्यापार केंद्र द्वारा आयोजित किया गया, और गुआंगज़ौ, चीन में हर वसंत और शरद ऋतु में आयोजित किया जाता है। कैंटॉन मेला सबसे लंबे इतिहास, सबसे बड़े अधिकतम पूर्ण प्रदर्शन विविधता, सबसे बड़े खरीददार की उपस्थिति, क्रेताओं के श्रोत देश का सबसे बड़ा वितरण और चीन में सबसे बड़ा व्यापार का कारोबार के साथ एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रम है।

123वें सत्र तक संचित निर्यात की मात्रा लगभग यूएसडी 1.3237 ट्रिलियन हो गई है और विदेशी खरीददारों की कुल संख्या 8.42 मिलियन तक पहुंच गई है। एक सत्र का प्रदर्शनी क्षेत्र कुल 1.185 मिलियन एम2 और देश व विदेश के प्रदर्शकों की संख्या लगभग 25,000 है। प्रत्येक सत्र में पूरी दुनिया के 210 से अधिक देशों और क्षेत्रों से लगभग 2,00,000 खरीददार मेला में भाग लेते हैं।

भापनि ने 31 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2018 तक कैंटन मेला में भाग लिया और अपने विभिन्न जेडीपी उत्पादों जैसे शॉपर बैग्स, फ्रूट कैरी बैग्स, लेडिज डिजाइनर बीच बैग्स, वाइन बॉटल बैग्स, फाइल्स, फोल्डर्स, बटुआ, जूट की सुतली आदि का प्रदर्शन करने के लिए एक स्टॉल लगाया। भापनि का स्टॉल बहुत लोकप्रिय हुआ और 100 से अधिक आगंतुक आए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व एशिया और यूरोपीय संघ जैसे देशों के आगंतुकों ने जेडीपी में रुचि दिखाई। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बाहर स्थित ब्रांडों का प्रतिनिधित्व करने वाले, कार्यालयों का संसाधन कराने वाले, खरीदने वाली कंपनियों, व्यापार करने वाले एजेंसियों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले खरीददारों का प्रत्युत्तर भी अत्यधिक उत्साहजनक था। मेले के भावी संस्करणों में भाग लेने के लिए निगम स्वयं को एक गंभीर व्यापारी के रूप में देखता है और ढेरों आदेशों में रूपांतरित करते हुए वास्तविक खरीददारों का ध्यान आकर्षित करता है।

28. सांविधिक लेखापरीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, यथा संशोधित के अंतर्गत कम्पट्रोलर एवं ऑडिटर जेनरल ऑफ इण्डिया द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए मेसर्स एच. एस. भट्टाचार्जी एण्ड कं, सनदी लेखापाल, कोलकाता को निगम का सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

निगम को लागत के रिकार्डों का रख-रखाव करने की आवश्यकता नहीं है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उप धारा (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

29. आभार प्रदर्शन

आपके निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर वस्त्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, पटसन आयुक्त का कार्यालय एवं नेशनल जूट बोर्ड को निगम के कार्यों में समय-समय पर उनके सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता है। वे कृषि लागत और मूल्य आयोग, राज्य सरकारों, कृषि और सहकारिता विभागों, राज्य के शीर्ष सहकारिता संगठनों, पटसन विकास निदेशालय से प्राप्त सहयोग के लिए भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, विजया बैंक तथा अन्य बैंकों को उनके सहयोग और आवश्यक समर्थन देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण मेसर्स सरकार, गुरुमूर्ति एण्ड एसोसिएट्स, आंतरिक लेखापरीक्षक, मेसर्स एम.सी.जैन एवं कं., सनदी लेखापाल, सांविधिक लेखापरीक्षक, वाणिज्य लेखापरीक्षा के मुख्य निदेशक एवं कम्पनी पंजीयक कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को उनके सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

अन्त में, निदेशकगण निगम के स्टाफ, अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों द्वारा दिये गये सहयोग हेतु अपना आभार प्रकट करते हैं।

कृते एवं बोर्ड के निदेशकगण की ओर से

ए. के. जॉली

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 17.12.2019

परिशिष्ट-''ए''

वित्तीय परिणाम 2018-19

(रुपये लाख में)

	अन्तर्देशीय कच्चा जूट			विविध	कुल
	मूल्य समर्थन	वाणिज्यिक	जूट बीज	जूट उत्पाद	
आय					
विक्रय	15,544.35	2,515.90	322.51	51.07	18,433.83
ब्याज	289.61	0	0	0.78	290.38
सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	5,000.00	0	0	0	5,000.00
अन्य जमा	680.18	401.94	16.12	0.15	1,098.38
अन्तर्देशीय कच्चे जूट से स्थानांतरण	547.86	0	0	0	547.86
अन्तिम स्टॉक	2,600.02	1,732.48	24.44	7.67	4,364.61
पूर्व अवधि का समायोजन	18.66	0	0	0	18.66
कुल :	**24,680.68**	**4,650.32**	**363.07**	**59.67**	**29,753.74**
व्यय					
प्रारंभिक स्टॉक	10,425.28	3,471.95	87.53	4.11	13,988.87
क्रय	6,678.86	0	259.43	46.68	6,984.97
व्यापारिक खर्चे	856.74	156.57	0.17	1.59	1,015.07
गोदाम भाड़ा एवं बीमा	201.38	4.27	0	0	205.65
अन्तर्देशीय कच्चे जूट से स्थानांतरण	0	547.86	0	0	547.86
स्थायी खर्च	4831.86	0	0	1.22	4,833.08
पूर्व अवधि का समायेजन	0	0	0	0	0
कुल :	**22,994.12**	**4,180.65**	**347.13**	**53.60**	**27,575.50**
अधिक्य(+)/कमी(-) ब्याज और मूल्यह्रास से पहले एक वर्ष का परिचालन	1,686.56	469.67	15.94	6.07	2,178.24
ब्याज	110.81	0	0	0	110.81
मूल्यह्रास और परिशोधन	16.05	0	0	0	16.05
आयकर के लिए प्रावधान	677.79	204.10	6.93	2.64	891.46
वर्ष के लिए लाभ(+)/हानि(-)	881.91	265.57	9.01	3.43	1,159.92
प्रस्तावित लाभांश	0	0	0	0	349.94
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	0	0	0	0	69.59
वर्ष के लिए शुद्ध अधिशेष	0	0	0	0	740.36
31.3.2018 तक आरक्षित एवं अधिशेष	0	0	0	0	12,628.94
31.3.2019 तक आरक्षित एवं अधिशेष	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,150.37**

परिशिष्ट-''बी''

48 वर्षों (1971-72 से 2018-2019) की लाभ-हानि का सूक्ष्म-वीक्षण

(रुपये करोड़ में)

		2018-2019 तक संचयी	कुल व्यय 5,035.91 रुपये के विभिन्न मदों की प्रतिशतता
1.	**आय**		
	विक्रय	3527.14	
	सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	675.10	
	सरकार से आर्थिक सहायता (बीज)	14.93	
	पश्चिम बंगाल से विशेष आर्थिक सहायता (एमएसपी)	1.55	
	अन्य आय	263.86	
	अन्तिम स्टॉक	43.65	
		4,526.23	**90**
2.	**व्यय** (स्थायी खर्च एवं ब्याज को छोड़कर)		
	क्रय	2,854.42	
	व्यापारिक एवं परिचालन व्यय	322.66	
	भंडारण	96.10	
	बीमा	32.62	
	पूर्व अवधि तथा अन्य का समायोजन	16.20	
		3,322.00	66
3.	स्थायी खर्च एवं ब्याज से पहले का अधिशेष (1-2)	1,204.23	
4.	बाद : स्थायी खर्च	1,128.43	**22**
5.	ब्याज से पहले का अधिशेष/(कमी) (3-4)	75.80	
6.	योग : उधार पर ब्याज	(585.51)	**12**
		(509.71)	
7.	आयकर (1973-74, 1976-77, 2004-05, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19)	70.98	
	फ्रिंज लाभ कर (2005-06 से 2008-09)	0.37	
	वितरण कर सहित सरकार को लाभांश (1971-72, 1973-74, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19)	9.77	
	हानि :	(590.83)	
8.	खाते में आर्थिक सहायता जमा (2002-03 तक)	555.20	
9.	वित्तीय पुन:संरचना के फलस्वरूप बट्टे खाते में 2002-03 तक का संचित हानि	144.17	
10.	वित्तीय पुनर्गठन के फलस्वरूप पूँजीगत लाभ	22.96	
11.	तुलन-पत्र में लाये गये वित्तीय वर्ष 2018-19 तक का लाभ (जमा अंक) (8+9+10-7)	131.50	

परिशिष्ट ''सी''

सीएसआर के क्रिया-कलाप से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी के सीएसआर की नीति के संक्षिप्त रुपरेखा जिसमें अपनाये जानेवाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के परिदृश्य और सीएसआर की नीति व परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक के संदर्भ शामिल हैं।	भापनि एक लाभकारी संगठन होने के नाते उसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर के क्रिया-कलापें करना है। सीएसआर समिति द्वारा संस्तुत सीएसआर नीति एवं 25.06.2019 को आयोजित बोर्ड की 252वीं बैठक में उनके द्वारा दिये गये अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए निगम के सीएसआर क्रिया-कलापें की गई हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा समय-समय पर परिचालित किए गए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम सीएसआर के क्रिया-कलापों में शामिल होने के लिए भी बाध्य है। **निगम का सीएसआर नीति** भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (भापनि), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसई) का स्थापना भारत सरकार द्वारा किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य साधारणत: उगाए गए जूट के लिए समुचित मूल्य प्रदान करते हुए और विशेषकर मजबूरन बिक्री करने से बचाते हुए जूट कृषकों के हितों का रक्षा करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप करने के अतिरिक्त भापनि बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक क्रय व विक्रय भी करता है। तदनुसार, जूट कृषकगण जो सीमित आय के साथ बड़े पैमाने पर छोटे और मार्जिनल कृषक हैं, का कल्याण इस सीएसआर नीति का फोकस व मार्ग-दर्शक कारक हो सकता है। प्रबंधन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में सूचीबद्ध सीएसआर क्रिया-कलापों पर विगत तीन वर्षों के औसतन शुद्ध लाभ का 2(दो) प्रतिशत व्यय करने का प्रयत्न करेगा। किसी खास वर्ष में सीएसआर क्रिया-कलापों की पहचान एवं कार्यान्वित करते समय लोक उद्यम विभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय (प्रशासिनक मंत्रालय) द्वारा जारी निदेशों, यदि कुछ हो, को ध्यान में रखा जाएगा। जूट कृषकों/बुनकरों को उनकी कमाई और आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए नए कौशल व प्रौद्योगिकी के साथ सशक्त बनाने और जूट कृषकों/बुनकरों के संतानों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चल रही स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को पूरा करने का प्रयास किये जाएंगे जिसमें जूट कृषकों/बुनकरों के लिए पीने का पानी, स्वच्छता एवं मां व बाल स्वास्थ्य देखभाल टीकाकरण आदि शामिल हैं। राशि जो वर्ष के अंत में अव्ययित रह सकती है उसे आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाया जाएगा। **वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बनाये गये योजनाओं एवं वजट का कार्यक्रम** 1. आउटरीच (स्कूलों में स्वच्छता अभियान)। 2. स्वच्छ उत्पादन हेतु नवाचार प्रक्रियाएं (डीपीसीज में आधुनिक पर्यावरण हितैषी रेटिंग प्रौद्योगिकी के साथ जूट संयंत्र का रेटिंग)। 3. डीपीसीज/आरओज में नागरिक इंटरफेस क्षेत्रों की स्वच्छता अभियान में सुधार।

	4. विभिन्न आरओज/डीपीसीज में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। 5. असम, बिहार, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में वाणिज्यिक पैमाने पर जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) हेतु बाजार सर्वेक्षण, डिजाइन के विकास व वकालती की परियोजनाएं।
2. सीएसआर की समिति का गठन	1. डा. एस. के. पांडा, गैर-सरकारी निदेशक – अध्यक्ष 2. सुश्री शेरी लालथंगजो, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय – सदस्य 3. श्री ए. के. जॉली, सीएमडी – सदस्य
3. विगत तीन वित्तीय वर्षों के कंपनी का औसतन शुद्ध लाभ (कर से पहले) (2015-16, 2016-17 एवं 2017-18)	19,55,00,000 रुपये
4. निर्धारित सीएसआर पर खर्च (उपरोक्त 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत)	39,10,000 रुपये
5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा 1. वित्तीय वर्ष हेतु खर्च की जानेवाली कुल राशि 2. अव्ययित राशि, यदि कुछ हो 3. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का ढंग	 1. 39,10,000 रुपये 2. 2019-20 के सीएसआर बजट के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में 19.59 लाख रु. खर्च की जाएगी। 3. खर्च की गई राशि के ढंग को नीचे के तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका: 2018-19 में खर्च की गई सीएसआर की राशि का ब्यौरा

क्रम	सीएसआर की परियोजना	सेक्टर	परियोजना राज्य/जिला	राशि (रु. में)
i.	आउटरीच (स्कूलों में स्वच्छता अभियान)।	स्वच्छ भारत/ स्वच्छता	पश्चिम बंगाल एवं असम	5,00,000
ii.	स्वच्छ उत्पादन हेतु नवाचार प्रक्रियाएं (डीपीसीज में आधुनिक पर्यावरण हितैषी रेटिंग प्रौद्योगिकी के साथ जूट संयंत्र का रेटिंग)।	स्वच्छ भारत	पश्चिम बंगाल एवं असम	50,187
iii.	डीपीसीज/आरओज में नागरिक इंटरफेस क्षेत्रों की स्वच्छता अभियान में सुधार।	स्वच्छ भारत	पूरे भारतवर्ष	7,00,372
iv.	विभिन्न आरओज/डीपीसीज में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।	स्वास्थ्य	पूरे भारतवर्ष	7,00,000
v.	असम, बिहार, ओडिशा एवं पिश्चम बंगाल राज्यों में वाणिज्यिक पैमाने पर जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) हेतु बाजार सर्वेक्षण, डिजाइन के विकास व वकालती की परियोजनाएं।	शिक्षा/ प्रशिक्षण	असम/बिहार/ ओडिशा/ पश्चिम बंगाल	–
	कुल			**19,50,559**

6. चिह्नित राशि को खर्च नहीं करने का कारण	वाणिज्यिक पैमाने पर जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) का उत्पादन करने हेतु बाजार सर्वेक्षण, डिजाइन के विकास व वकालती की परियोजनाओं हेतु आवंटित राशि 15 लाख रु. 2018-19 में व्यय नहीं हो सका क्योंकि उक्त उद्देश्य के लिए आरएफक्युज को आमंत्रित करने एवं संस्थानों का चयन करने की प्रक्रिया अभी भी चालू है।
7. सीएसआर की समिति से विवरण	सीएसआर की समिति ने पुष्टि की है कि पैरा-1 में दी गई सीएसआर के क्रिया-कलापों की रुपरेखा के अनुरुप सीएसआर से संबंधित खर्च की गई।

लेखापरीक्षित लेखा के अनुसार 19.59 लाख रु. व्यय नहीं हुई है जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय करने की योजना है।

ह.

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

पांच वर्षों की रूपरेखा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	ब्यौरा	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ए	**परिचालन के आंकड़े**					
	कुल कारोबार	8945.39	2134.02	6330.17	18004.07	18433.84
	अन्य आय	6322.53	6096.21	5948.53	5295.87	6388.77
	खर्च	13655.19	6395.47	11047.80	20547.37	22789.88
	पूर्व अवधि का समायोजन (शुद्ध)	3.51	5.90	(58.10)	6.46	(18.66)
	कर से पहले लाभ	1609.21	1828.84	1289.00	2746.11	2051.39
	कर	595.62	715.00	353.00	977.92	891.46
	आस्थगित कर खर्चे	(41.46)	25.25	16.21	–	–
	कर के उपरांत लाभ	1055.05	1088.60	919.79	1768.20	1159.93
	लाभांश कर सहित लाभांश	–	–	332.19	638.50	–
	सामान्य रिजर्व में राशि स्थानांतरण	1055.05	1088.60	587.60	1129.70	1159.93
बी	**वित्तीय स्थिति**					
	नियोजित पूंजी	9684.54	10773.13	11360.74	12490.44	13650.37
	अप्रचलित परिसम्पत्तियां	292.03	249.62	240.71	238.99	252.31
	चालू परिसम्पत्तियां	16193.99	17235.87	19077.45	26399.78	21865.66
	इक्विटी एवं देयताएं:					
	शेयर पूंजी	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	आरक्षित एवं अधिशेष	9184.54	10273.13	10860.74	11990.44	13150.37
	अप्रचलित देयताएं	4178.11	3722.76	3446.25	3318.82	3731.46
	चालू देयताएं	2623.37	2989.60	4511.17	10829.52	4736.14
सी	**अनुपात**					
	पीबीटी/कुल कारोबार	0.18	0.86	0.20	0.15	0.11
	पीएटी/कुल कारोबार	0.12	0.51	0.15	0.10	0.06
	पीबीटी/नियोजित पूंजी	0.17	0.17	0.11	0.22	0.15
	पीएटी/कुल मूल्य	0.11	0.10	0.08	0.14	0.08
	कुल कारोबार/कुल मूल्य (कई बार)	0.92	0.20	0.56	1.44	1.35
	प्राप्तियोग्य व्यापार/कुल कारोबार (%)	7.88	8.16	0.93	26.05	10.78

कार्पोरेट गोवर्नेंस प्रमाण-पत्र

सेवा में
सदस्यगण
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा किये गये कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन की जांच की जैसाकि केन्द्रीय लोक सेक्टर उद्यम (सीपीएसईज) के लिए लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के का.ज्ञा.सं.18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा जारी कार्पोरेट गोवर्नेंस से संबंधित मार्ग-दर्शन (''मार्ग-दर्शन'') में निर्धारित किया गया है।

कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा उसकी प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जांच की दायरा सीमित है जिसे कंपनी द्वारा कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है जैसाकि मार्ग-दर्शन में निर्धारित है। यह न तो लेखापरीक्षा है न ही कंपनी के वित्तीय विवरणी पर विचार प्रकट करना है।

हमारी राय में और जहाँ तक जानकारी है एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित को छोड़कर कंपनी ने कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है जैसाकि उपरोक्त मार्ग-दर्शन में निर्धारित किया गया है:-

i. मार्ग-दर्शन का खंड 3.1.4 : कि यदि सीपीएसई सूचीबद्ध नहीं है तो बोर्ड के सदस्य का कम-से-कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशकगण होना चाहिए।

ii मार्ग-दर्शन का खंड 4.1.1 : कि लेखापरीक्षा समिति का दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशकगण होगा।

iii मार्ग-दर्शन का खंड 4.1.2 : कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा।

हम पुन: जानकारी देते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य में व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है न ही इसका दक्षता या प्रभाव है जिससे प्रबंधन कंपनी के कार्य का संचालन किया है।

वास्ते एम. सी. जैन एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
आईसीएआई पंजी. सं.304012ई

(एम. के. पटवारी)
साझेदार
सदस्यता सं.056623
यूडीआईएन 19056623एएएएजीपी9680

33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता -1
06 नवम्बर, 2019

क्षेत्रीय कार्यालय

31.3.2019 तक

राज्य		आरओ/आरएलडी	डीपीसी की संख्या
पश्चिम बंगाल	1.	कोलकाता आरएलडी	22
	2.	कृष्णानगर	15
	3.	बेथुवाडहरी	11
	4.	बरहमपुर	13
	5.	तुलसीहाटा आरएलडी	10
	6.	सिलीगुड़ी	10
	7.	कूचबिहार	9
बिहार		फारबिसगंज आरएलडी	17
असम/मेघालय	1.	जुरिया आरएलडी	10
	2.	गौरीपुर आरएलडी	5
	3.	गुवाहाटी	7
त्रिपुरा		अगरतला	2
ओडिशा		भद्रक	6
आन्ध्र प्रदेश		पार्वतीपुरम्	4
			141

स्वतंत्र लेखापरीक्षक का रिपोर्ट

सदस्यगण,

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से संबंधित रिपोर्ट

राय

हमने भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया जिसमें 31 मार्च 2019 तक के तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, वर्ष के अंत तक का नगद प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारे रिपोर्ट के सशर्त राय के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर हमारी राय में और जहां तक हमें जानकारी है एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित जानकारी देती हैं और भारत में साधारणत: स्वीकार किए गए लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 तक के कंपनी के कार्यों एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसका लाभ एवं उसका नकद प्रवाह का एक सही और स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।

सशर्त राय के लिए आधार

1. कंपनी के पास विविध देनदारों, विविध ऋणदाताओं, ग्राहकों से अग्रिम, प्रतिभूति एवं बयाना जमा, बकाया देयताएं, अन्य देय व अन्य अग्रिमों के नामें/जमा राशि से संबंधित जमा शेष राशि की पुष्टि करने की कोई भी प्रणाली नहीं है। जहां तक पार्टियों के नामें/जमा शेष राशि का सबंध है, इसे तत्पश्चात वसूला अथवा मुक्त नहीं किया गया है जिसका पुष्टि/समाधान होना है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो वह अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी 07, 08, 13 व 15 देखें)।

2. कंपनी ने नेशनल जूट बोर्ड ऑथोरिटी से प्राप्त निधि की प्रविष्टियां एवं आई-केयर परियोजना, सज्जा मशीन परियोजना, संतृप्ति परियोजना, एन्जाइम रेटिंग परियोजना, सामान्य सुविधा केन्द्र, पाइलट प्रोजेक्ट एवं भुवनजंप परियोजना हेतु उसके उपयोग के रिकार्ड के लिए एवं सीएफसी परियोजना के पर्यवेक्षण प्रभार के कारण जितनी आय हुई है उसमें समुचित लेखाकरण को लागू नहीं कर रहा है एवं 31.03.2018 तक की आई-केयर परियोजना (चरण-III) की राशि 44,37,278 रु. को वित्तीय वर्ष 2018-19 में दर्शाया गया है। आई-केयर परियोजना (चरण-I एवं II) के पर्यवेक्षण प्रभार के कारण 25,71,292 रु. की आय जिसे विगत वर्षों में अधिक दर्शाया गया था, को इस वर्ष के दौरान लिखा गया है। इन परियोजनाओं से संबंधित लेखों में नामें/जमा शेष राशि को रखा गया है और एनजेबीए से इसकी पुष्टि एवं समाधान की जानी है (टिप्पणी 08 एवं 15 देखें)।

3. कंपनी द्वारा उनके आयकर देयता हेतु भुगतान की गई आयकर को संबंधित वर्ष हेतु सृजित/रखे गये प्रावधान के साथ समायोजित नहीं किया गया है एवं दोनों ही राशि को अलग से आयकर हेतु अग्रिम आयकर एवं प्रावधान के रूप में खाता में रखा गया है। वर्षवार ब्यौरा से ध्यान में आया है कि 2008-09 तक के निर्धारण वर्षों के लिए अग्रिम कर के विरूद्ध 1,48,62,773 रु. का भुगतान किया गया है और बही में उसके लिए 8,55,272 रु. मात्र का प्रावधान रखा गया है। इससे यह दर्शाया जा रहा है कि बही के अनुसार 1,40,07,501 रु. की अंतर राशि वापसी योग्य है। तथापि जैसाकि हमें सूचित

किया गया है एवं उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निर्धारण वर्ष 2008-09 तक का मिलने वाली बकाया राशि 79,49,948 रु. मात्र है और इसलिए लेखा में रखे गये प्रावधानों में 60,57,553 रु. कम है जो 60,57,553 रु. की परिसंपत्ति को प्रभावित करता है और वर्ष के लिए कर के उपरांत उसके समतुल्य राशि के लाभ को प्रभावित करता है (टिप्पणी 9 एवं 15 देखें)।

4. खाते में रखे गये निम्नलिखित जमा राशि की पुष्टि/समाधान होना है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी 8 एवं 15 देखें)।

   * नेशनल जूट बोर्ड 35,38,700 रु. (नामें)

   * जूट प्रौद्योगिकी मिशन 10,27,011 रु. (जमा)

इस मामले के जोर

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है:

1. टिप्पणी सं.18 - वर्ष की समाप्ति के दौरान बही में बकाया पुरानी देयताएं जो अब वेतन खाते में देय नहीं है, की कुल राशि 1,93,39,872 रु. को दर्शाया गया है एवं उसे लाभ-हानि खाता में जमा किया गया है।
2. टिप्पणी सं.8 - 31.03.2019 तक ग्राहकों से बकाया अग्रिम राशि 4,25,33,131 रु. में जमा कुल राशि 50,05,510 रु. शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।
3. टिप्पणी सं.7 - 31.03.2019 तक व्यापार देय की बकाया राशि 3,78,84,476 रु. में जमा कुल राशि 20,31,418 रु. शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।
4. टिप्पणी सं.4 एवं 14 - जेटीएम, रेटिंग टैंक एवं मैनुअल डवलपमैंट रिबनर प्रोजेक्ट एवं आईजेएसजी हेतु रखे गये सावधि जमा राशि पर प्राप्त ब्याज की कुल राशि 1,20,12,358 रु. को संबंधित परियोजानाओं में जमा की गई है एवं उसे लेखा बही में आय के रूप में नहीं दर्शाये गए हैं। तथापि उस वर्ष की आयकर देय हेतु आय के रूप में उसे विचारा गया है एवं कपंनी द्वारा प्राप्त ब्याज पर टीडीएस का दावा किया गया है।
5. टिप्पणी सं.14 - 31.03.2019 तक निम्नलिखित बैंक खातों में रखे गए जमा राशि की पुष्टि की जानी है:

   (ए) एबी-भुवनेश्वर (बैलिंग सेंटर) 551.80 रु.

   (बी) सीबी-असक्राफ्ट (बैलिंग सेंटर) 1,970.92 रु.
6. टिप्पणी सं.19 - परिचालन खर्च हेतु 2,28,77,401 रु. वहन हुआ है जिसे कंटेक्टर (सरदार) को अधिकतम श्रम भुगतान के रूप में किया गया है एवं इसलिए संविदात्मक भुगतान होने के नाते वह धारा 194सी के अंतर्गत टीडीएस बनता है। फिर भी ऐसे भुगतान पर टीडीएस की कटौती नहीं की गई है।
7. टिप्पणी सं.15 - वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने खरीददारी के एवज में कृषकों/अनजान व्यक्तियों को 1,44,56,518 रु. का अधिक भुगतान किया है। जैसाकि बताया गया कि साफ्टवेयर की त्रुटि के कारण हुई है। 31.03.2019 तक 1,25,10,987 रु. की वसूली हुई है और 31.03.2019 तक शेष राशि 19,45,531 रु. वापसी योग्य है जिसे अल्पावधि ऋण एवं पेशगियां के अंतर्गत अन्य पार्टियों को अग्रिम शीर्षक के अंतर्गत प्रतिबिंबित किया गया है। तथापि उस राशि के विरुद्ध बही में कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है जबकि प्रबंधन द्वारा संपूर्ण राशि 19,45,531 रु. को खारा समझा गया है।
8. टिप्पणी सं.8 - व्यय एवं अन्य देय की देयता में 1,07,20,641 रु. (गोदाम भाड़ा देय), 2,12,927 रु. (लोरी भाड़ा देय) और 71,16,931 रु. (मार्केट लेवी देय) शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।
9. टिप्पणी सं.15 एबं 24 - बही में रखे गये वर्तमान प्रावधान से क्रय कर, विक्रय कर एवं वैट के खाते में 4,98,762 रु. अधिक भुगतान किया गया है जिसका समाधान किये बिना वर्ष के दौरान लिखा गया है।

   उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरणियों एवं उसपर लेखापरीक्षक के रिपोर्ट के अलावा सूचना

- कंपनी के बोर्ड के निदेशकगण अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में निदेशकगण और प्रबंधन के विचार-विमर्श की रिपोर्ट और विश्लेषण रिपोर्ट में शामिल सूचना सम्मिलित हैं लेकिन इसमें वित्तीय विवरणियां और उसपर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।
- वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी प्रकार के आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।
- वित्तीय विवरणियों के लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ने की है और ऐसा करने पर विचार करने की है कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणियों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी या अन्य रूप से भौतिक रूप से गलत होने वाला प्रकट होता है।
- यदि हमने कार्य के आधार पर कार्य-निष्पादन किये हैं तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य का रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के बोर्ड के निदेशकगण इस वित्तीय विवरणों की तैयारी करने के संबंध में इस अधिनियम की धारा 134(5) में दर्शाये गये विषय-वस्तु के लिए जिम्मेदार हैं जो साधारणत: भारत में स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही व स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस जवाबदेही में यह भी शामिल है कि कंपनी के परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और जालसाजी को रोकने व पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का रख-रखाव, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन व उपयोग, निर्णय व आकलन करना जो उचित और विवेकापूर्ण है; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन व रख-रखाव जो लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित सही एवं स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है और गलत विवरण दस्तावेज जो जालसाजी अथवा गलती से मुक्त है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को लाभप्रद संस्था के रूप में जारी रखने, प्रकटन करने, जैसाकि लागू है, लाभप्रद संस्था से संबंधित मामले एवं लेखाकरण के लाभप्रद आधार का उपयोग करने के लिए कंपनी की क्षमता का आकलन करने की जिम्मेदारी है जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

बोर्ड के निदेशकगण कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण गलत विवरण से मुक्त हैं चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद किसी सामग्री के गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरणियां धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और वह सामग्री माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर उन्हें इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के अंश के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के दुरुपयोग के जोखिमों की पहचान और आकलन करे चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन और कार्य निष्पादन करें और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार साबित करने के लिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधड़ी से उत्पन्न सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणाम से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत वर्णन या आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी सामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के अनुरूप आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना है जो इस परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस बात के लिए भी जिम्मेदार हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली हो और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता हो।
- उपयोग की गई लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किये गये लेखाकरण आकलनों और संबंधित प्रकटनों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखाकरण के लाभप्रद के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या कोई घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता से मौजूद है जो लाभप्रद संस्था के रूप में जारी रखने के लिए कंपनी की क्षमता पर सार्थक संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सामग्री अनिश्चिता से मौजूद है तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन या यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। हमारा निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां कंपनी को लाभप्रद संस्था के रूप में जारी रखने से रोक सकता है।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अन्य मामलों में लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे व समय एवं आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में उन लोगों के साथ संवाद करते हैं जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी विवरणी प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर उचित रूप से विचार किया जा सकता है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के शर्त्तानुसार भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखपरीक्षक के रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित है एवं कंपनी के बही-खाते व रिकार्ड्स की जांच के आधार पर जैसाकि हमने उचित समझा और हमें दी गई सूचना व व्याख्याओं के अनुसार हमने आदेश के पैरा 3 एवं 4, लागू होने तक, में विनिर्दिष्ट ममलों पर ''संलग्नक -ए'' में विवरण दिये हैं।
2. भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक ने इस अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (5) के शर्तानुसार जांच होने वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए दिशा-निदेश जारी किया है जिसके अनुपालन का उल्लेख ''संलग्नक-बी'' में किया गया है।
3. जैसाकि इस अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि
   (i) लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारे जानकारी व विश्वास से आवश्यक थे।

(ii) हमारी राय से लेखा के समुचित बही-खाते जो कंपनी को विधिवत रखना चाहिए, हमारे जांच के समय देखा गया कि उन्होंने उसे सही ढंग से रखे हैं।

(iii) इस रिपोर्ट में दर्शाये गये तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण लेखा के बही-खाते से मेल खाते हैं।

(iv) हमारी राय से उपरोक्त वित्तीय विवरणों का अनुपालन कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का नियम 7 के साथ-साथ इस अधिनियम की धारा 133 के अतंर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक के साथ किया गया है।

(v) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के शर्तानुसार निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में इस अधिनियम की धारा 164(2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(vi) कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट देने से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावपूर्णता के संदर्भ में हमारा पृथक रिपोर्ट ''संलग्नक-सी'' में देखें और

(vii) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 का नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में शामिल होने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में हमारी राय व जानकारी से और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार :

ए. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को दर्शाया है। वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं. 28 का अवलोकन करें।

बी. कंपनी ने कोई दीर्घकालिक अनुबंध, अमौलिक अनुबंध सहित नहीं किया है जिससे पहले ही से हानि का अनुमान लगाया जा सके।

सी. ऐसी कोई भी राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित होने की आवश्यकता पड़े।

वास्ते एम. सी. जैन एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
(आईसीएआई पंजी. सं.304012ई)

(एम. के. पटवारी)
साझेदार
सदस्यता सं.056623
यूडीआईएन:19056623एएएएईजी1021

33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता -1
26 सितम्बर, 2019

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के सदस्यों को उस तिथि के हमारे रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत पैरा-1 में दर्शाये गये संलग्नक-ए

1. (ए) कंपनी ने संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्डों का रख-रखाव किया है जिसमें निश्चित परिसम्पतियों की मात्रात्मक ब्यौरा एवं परिस्थिति शामिल है।

   (बी) प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर कंपनी की निश्चित परिसम्पतियों का प्रत्यक्ष सत्यायन किया गया है। जैसाकि हमें सूचित किया गया है, ऐसे सत्यापन पर कोई भी विसंगतियां ध्यान में नहीं आई है।

   (सी) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर अचल परिसम्पतियों का अधिकार-पत्र कंपनी के नाम से है।

2. प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर ध्यान में आई विसंगतियों का महत्व नहीं था जैसाकि बही रिकार्ड से तुलना की गई है और उसे लेखा के बही-खाते में उचित ढंग से निपटाया गया है।

3. हमारी राय से एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रख-रखाव किये गये रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी अथवा अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित प्रदान नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर इस आदेश के खंड 3(iii) (ए), (बी) एवं (सी) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

4. हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार कंपनी ने किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दिया है अथवा किसी प्रकार का विनिवेश नहीं किया है अथवा कोई गारंटी नहीं दिया है और कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के अंतर्गत शामिल है। तदनुसार कंपनी पर इस आदेश के खंड 3(iv) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

5. इस अधिनियम की धारा 73 से 76 तक तथा उसके अंतर्गत अधिसूचित तक तैयार नियमों के अन्दर कंपनी ने पब्लिक से कोई भी जमा राशि स्वीकार नहीं किया है।

6. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी के उत्पादों के लागत रिकार्डों का रख-रखाव को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। तदनुसार कंपनी पर इस आदेश के खंड 3(vi) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

7. (ए) हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार एवं कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर भविष्य निधि, कर्मचारियों का राज्य बीमा, आयकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वस्तु के उत्पादन पर लगाए जानेवाला कर, अधिशेष एवं कोई अन्य सांविधिक बकाया राशि को सम्मलित करते हुए अविवादित सांविधिक बकाया राशि से संबंधित कटौती/संचय की गई राशि को सक्षम प्राधिकारी के पास साधारणत: नियमित रूप से जमा की गई है। हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 का आयकर की राशि 4,890 रु. को छोड़कर 31 मार्च 2019 तक उपरोक्त सांविधिक बकाया राशि से संबंधित कोई भी अविवादित राशि देय तिथि से छ: महीने से अधिक अवधि का बकाया नहीं है।

   (बी) हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार एवं कंपनी के रिकार्ड के अनुसार विवादित होने के कारण निम्नलिखित सांविधिक बकाया राशि जमा नहीं हुई है :

संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रवृति	फोरम जहां विवाद लंबित है	राशि शामिल (रु. लाख में)	अवधि जिससे संबंधित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	जैसाकि हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने हल करने के उपाय को अपनाने की प्रक्रिया शुरु की है एवं मांग को हटाने के लिए आवेदन आकलन अधिकारी के पास शीघ्र ही दायर किया जाएगा।	115.00	नि.व. 2004-05
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	जैसाकि हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने हल करने के उपाय को अपनाने की प्रक्रिया शुरु की है एवं मांग को हटाने के लिए आवेदन आकलन अधिकारी के पास शीघ्र ही दायर किया जाएगा।	0.15	नि.व. 2007-08
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	जैसाकि हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने हल करने के उपाय को अपनाने की प्रक्रिया शुरु की है एवं मांग को हटाने के लिए आवेदन आकलन अधिकारी के पास शीघ्र ही दायर किया जाएगा।	0.08	नि.व. 2008-09
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आयकर अपील अधिकरण	896.76	नि.व. 2009-10
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आकलन अधिकारी	195.45	नि.व. 2013-14

8. हमारी राय से एवं हमें दी गई व्याख्या के अनुसार एवं निष्पादित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर कंपनी बैंक को बकाया राशि का पुन: भुगतान करने में कसूरवार नहीं है। वर्ष के दौरान कंपनी पर वित्तीय संस्थान अथवा सरकार से संबंधित कोई भी बकाया राशि नहीं है और कोई बकाया डिबेंचर नहीं है।

9. हमारी राय से एवं हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश/दुवारा सार्वजनिक पेशकश/ ऋण के साधन एवं आवधिक ऋण के माध्यम से कोई भी मुद्रा प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर इस आदेश के खंड 3(ix) का प्रावधान लागू नहीं है।

10. हमारे लेखापरीक्षा की प्रकिया के आधार पर एवं हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखा-धड़ी अथवा कंपनी पर उसके अधिकारियों/कर्मचारियों को शामिल करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखा गया है अथवा रिपोर्टित किया गया है।

11. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 इस कंपनी पर लागू नहीं है। तदनुसार इस आदेश के खंड 3(xi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

12. हमें दी गई सूचना एवं व्याख्या के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार इस आदेश के खंड 3(xii)का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

13. हमें दी गई सूचना एवं व्याख्या के अनुसार एवं कंपनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन करते हुए संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन हुआ है, जहां कहीं लागू और उसका ब्यौरा वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में दर्शाया गया है जैसाकि लागू लेखाकरण मानक द्वारा अपेक्षित है।

14. हमारे लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर एवं हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों अथवा संपूर्ण डिबेंचरों या आंशिक बदलने योग्य डिबेंचरों का कोई भी तरजीही आबंटन अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार इस आदेश के खंड 3(xiv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

15. हमारी राय से एवं हमें दी गई सूचना व व्याख्या के अनुसार कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकद लेन-देन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार इस आदेश के खंड 3(xv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

16. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत कंपनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

वास्ते एम. सी. जैन एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
(आईसीएआई पंजी. सं. 304012ई)

(एम. के. पटवारी)
साझेदार
सदस्यता सं.056623
यूडीआईएन:19056623एएएएईजी1021

33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता -1
26 सितम्बर, 2019

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के सदस्यों को उस तिथि के हमारे रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत पैरा-2 में दर्शाये गये संलग्नक-बी

क्र. सं.	विवरण	जवाब
1.	क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाकरण के लेन-देन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है ? यदि हाँ, तो लेखों के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव की सत्यनिष्ठा पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखाकरण लेन-देन की प्रक्रिया के प्रभाव यदि कोई हो, को दर्शाया जाए।	नहीं, कंपनी केवल सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से बिक्री लेखाकरण सहित वित्तीय लेखाकरण कर रही है। अन्य प्रक्रिया जैसे वस्तुसूची लेखाकरण, खरीद लेखाकरण आदि का रख-रखाव मैन्युअल रूप से किया जाता है और सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के साथ उसका एकीकरण करने के लिए उचित देखभाल की जाती है।
2.	क्या ऋण की अदायगी में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन की जा रही है या कर्ज/ऋण/ ब्याज इत्यादि के छूट/बट्टे खाते का कोई मामला है ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव दर्शाया जाए।	नहीं
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य निधियों को इसके निबंधन और शर्तें के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/ उपयोग किये गये थे ? व्यतिक्रम के मामलों की सूची।	हां

वास्ते एम. सी. जैन एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
(आईसीएआई पंजी. सं. 304012ई)

(एम. के. पटवारी)
साझेदार
सदस्यता सं.056623
यूडीआईएन:19056623एएएएईजी1021

33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता -1
26 सितम्बर, 2019

उस तिथि के हमारे रिपोर्ट के
''अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं से संबंधित रिपोर्ट''
शीर्षक के अंतर्गत पैरा-3(vi) में दर्शाये गये संलग्नक-सी

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित रिपोर्ट।

31 मार्च, 2019 तक का हमने भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (''कंपनी'') के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षा किया है जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणियों का हमारे लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में है।

आतंरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का दायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी के प्रबंधन को कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित व रख-रखाव करने का दायित्व है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार को सुव्यवस्थित रुप से एवं दक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी रूप से परिचालन हो रहे थे जिसमें कंपनी के नीतियों का अवलंबन, अपनी परिसम्पतियों को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी व त्रुटियां रोकना एवं पता लागाना, लेखाकरण के रिकार्डों की शुद्धता व संपूर्णता एवं विश्वासनीय वित्तीय सूचना को सही समय से तैयार करना शामिल है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों की जवाबदेही

हमारी जवाबदेही है कि अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित विचार प्रकट करना। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी (''मार्ग-दर्शन की टिप्पणी'') एवं लेखाकरण संबंधी मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित समझा गया के अनुसार अपने लेखापरीक्षा का संचालन किया है, जहां तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा पर लागू है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर लागू है और दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों एवं मार्ग-दर्शन की टिप्पणी की मांग है कि हम क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रख-रखाव किया गया है से संबंधित उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा के नैतिक आवश्यकताओं, प्लान एवं कार्य निष्पादन का अनुपालन करें और ऐसी नियंत्रण सभी संदर्भों में प्रभावकारी रूप से परिचालित हुई है।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उसके परिचालन के प्रभावपूर्णता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता से संबंधित लेखापरीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ताल-मेल प्राप्त करना, जोखिम आंकना जो भौतिक कमजोरी विद्यमान है, डिजाइन का जांच व मूल्यांकन करना एवं मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के प्रभावपूर्णता का परिचालन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जिसमें वित्तीय विवरणों के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा का साक्ष्य वित्तीय रिपोटिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर लेखापरीक्षा की राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वासनीयता एवं साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियां एवं कार्यविधि शामिल हैं। (1) उचित ब्यौरा के साथ रिकार्डों का रख-रखाव होना जो कंपनी के परिसम्पत्तियों का लेन-देन व प्रबंध को सही ढंग से व न्यायपूर्वक प्रतिविम्बित करता है (2) उचित आश्वासन प्रदान करना जिसका लेन-देन रिकार्ड होता है जैसाकि साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धन्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक है एवं कंपनी के प्रबंधन व निदेशकों की अनुमति के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं खर्च की जा रही है और (3) कंपनी के परिसम्पतियों का अनाधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा प्रबंध को रोकने या सही समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना जो वित्तीय विवरणों पर प्रभाव डाला हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन, नियंत्रणों का अधिभावी, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से गलत विवरणों की संभावना शामिल करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाओं के कारण घटित हो सकता है और पता नहीं लगा हो। भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा जिससे नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय से सभी मामलों में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2019 तक का प्रभावी ढंग से परिचालन किया है।

वास्ते एम. सी. जैन एण्ड कं.
सनदी लेखापाल
(आईसीएआई पंजी. सं. 304012ई)

(एम. के. पटवारी)
साझेदार
सदस्यता सं.056623
यूडीआईएन:19056623एएएएईजी1021

33, ब्रबर्न रोड, कोलकाता -1
26 सितम्बर, 2019

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निगम के लेखा पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किये गये टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
	भाग-I : सशर्त राय के लिए आधार	
1.	कंपनी के पास विविध देनदारों, विविध ऋणदाताओं, ग्राहकों से अग्रिम, प्रतिभूति एवं बयाना जमा, बकाया देयताएं, अन्य देय व अन्य अग्रिमों के नामें/जमा राशि से संबंधित जमा शेष राशि की पुष्टि करने की कोई भी प्रणाली नहीं है। जहां तक पार्टियों के नामें/जमा शेष राशि का सबंध है, इसे तत्पश्चात वसूला अथवा मुक्त नहीं किया गया है जिसका पुष्टि/समाधान होना है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो वह अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी 07, 08, 13 व 15 देखें)।	देनदारों/लेनदारों से शेष राशि की पुष्टि करने की प्रणाली पहले से ही है। इसके अलावा देनदारों को शेष राशि की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजा गया है और लेखापरीक्षकों को पुष्टि के कुछ नमूने पहले ही दिखाई गई हैं। इसी तरह उसे लेनदारों से प्राप्त किया गया है और लेखापरीक्षकों को नमूने दिखाए गये हैं। इसके अलावा विविध देनदारों, विविध लेनदारों और ग्राहकों से अग्रिम, प्रतिभूति सुरक्षा और बयाना जमा राशि, बकाया देयताएं, अन्य देय और अन्य अग्रिमों के मदवार व वर्षवार विवरण को लेखापरीक्षकों के पास प्रस्तुत किए गए। चूंकि भापनि मूल रूप से तुरंत भुगतान के आधार पर कृषकों से जूट खरीदता है और उसे अग्रिम भुगतान/उधार-पत्र के विरूद्ध तुरंत संग्रह के आधार पर ग्राहकों को बेचता है, इसलिए चालू अविध में देनदारों/लेनदारों की बहुत सीमित मात्रा है और तत्पश्चात् उनसे वसूला/उसको भुगतान किया जाता है और वे पूरा तरह से नियंत्रणाधीन हैं। बहुत पुराने देनदारों/लेनदारों की शेष राशि के बारे में जैसाकि समीक्षा के माध्यम से बताया गया है, वह प्रगति पर है और हर एक मामले के आधार पर अपेक्षित प्रावधान संबंधित देनदारों, अन्य अग्रिमों के विरूद्ध पहले से ही है।
2.	कंपनी ने नेशनल जूट बोर्ड ऑथोरिटी से प्राप्त निधि की प्रविष्टियां एवं आई-केयर परियोजना, सज्जा मशीन परियोजना, संतृप्ति परियोजना, एन्जाइम रेटिंग परियोजना, सामान्य सुविधा केन्द्र, पाइलट प्रोजेक्ट एवं भुवनजंप परियोजना हेतु उसके उपयोग के रिकार्ड के लिए एवं सीएफसी परियोजना के पर्यवेक्षण प्रभार के कारण जितनी आय हुई है उसमें समुचित लेखाकरण को लागू नहीं कर रहा है एवं 31.03.2018 तक की आई-केयर परियोजना (चरण-III) की राशि 44,37,278 रु. को वित्तीय वर्ष 2018-19 में दर्शाया गया है। आई-केयर परियोजना (चरण-I एवं II) के पर्यवेक्षण प्रभार के कारण 25,71,292 रु की आय जिसे विगत वर्षों में अधिक	परियोजना सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी)प्रारंभ से है और परियोजना आई-केयर, चरण-III का विधिवत हमारे खातों के साथ मिलान किया गया है और विधिवत लेखापरीक्षा किया गया है। आवश्यक लेखांकन प्रभाव को लेखापरीक्षा के उपरांत चालू वर्ष के लेखा में दर्शाया गया है। प्रारंभ में परियोजना आई-केयर, चरण-I और II के पर्यवेक्षण शुल्क से संबंधित आय को अस्थायी आधार पर खातों में मान्यता दी गई है। मिलान एवं लेखापरीक्षा के उपरांत आवश्यक लेखांकन प्रभाव को चालू वर्ष के लेखा में दर्शाया गया है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
	दर्शाया गया था, को इस वर्ष के दौरान लिखा गया है। इन परियोजनाओं से संबंधित लेखों में नामें/जमा शेष राशि को रखा गया है और एनजेबीए से इसकी पुष्टि एवं समाधान की जानी है (टिप्पणी 08 एवं 15 देखें)।	एनजेबी के साथ अन्य परियोजनाओं से संबंधित मिलान की प्रक्रिया शुरु हो गई है और एनजेबी से पुष्टि होने के उपरांत अनुवर्ती प्रभाव को वित्तीय वर्ष 2019-20 में बही में दर्शाया जाएगा।
3.	कंपनी द्वारा उनके आयकर देयता हेतु भुगतान की गई आयकर को संबंधित वर्ष हेतु सृजित/रखे गये प्रावधान के साथ समायोजित नहीं किया गया है एवं दोनों ही राशि को अलग से आयकर हेतु अग्रिम आयकर एवं प्रावधान के रूप में खाता में रखा गया है। वर्षवार ब्यौरा से ध्यान में आया है कि 2008-09 तक के निर्धारण वर्षों के लिए अग्रिम कर के विरूद्ध 1,48,62,773 रु. का भुगतान किया गया है और बही में उसके लिए 8,55,272 रु. मात्र का प्रावधान रखा गया है। इससे यह दर्शाया जा रहा है कि बही के अनुसार 1,40,07,501 रु. की अंतर राशि वापसी योग्य है। तथापि जैसाकि हमें सूचित किया गया है एवं उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निर्धारण वर्ष 2008-09 तक का मिलने वाली बकाया राशि 79,49,948 रु. मात्र है और इसलिए लेखा में रखे गये प्रावधानों में 60,57,553 रु. कम है जो 60,57,553 रु. की परिसंपत्ति को प्रभावित करता है और वर्ष के लिए कर के उपरांत उसके समतुल्य राशि के लाभ को प्रभावित करता है (टिप्पणी 9 एवं 15 देखें)।	लेजर में आयकर के अग्रिम आयकर और प्रावधान को मामले की समीक्षा में बनाए रखने और इस संबंध में बेहतर नियंत्रण के लिए अलग से दर्शाया गया है। प्रस्तुति के ढंग में अंतर होने से लेखा बही पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। लेखापरीक्षक द्वारा उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संबंधित अपीलों के निर्णय अभी भी अपीलीय प्राधिकारी के पास लंबित हैं।
4.	खाते में रखे गये निम्नलिखित जमा राशि की पुष्टि/समाधान होना है। परिणामी राजस्व का प्रभाव यदि कुछ हो तो अभी अभिनिश्चित योग्य नहीं है (टिप्पणी 8 एवं 15 देखें)। * नेशनल जूट बोर्ड 35,38,700 रु. (नामें) * जूट प्रौद्योगिकी मिशन 10,27,011 रु. (जमा)	राष्ट्रीय जूट बोर्ड के खातों में जमा शेष राशि के बारे में पुष्टि करने का मामला उनके साथ उठाया गया है जैसाकि 'सशर्त राय के लिए आधार' शीर्षक के अंतर्गत मद सं.3 के जवाब में उल्लेख किया गया है और हम एनजेबी से पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आवश्यक पुष्टि होने के उपरांत अनुवर्ती प्रभाव को वित्तीय वर्ष 2019-20 में बही में दर्शाया जाएगा। जूट प्रौद्योगिकी मिशन के लिए भापनि स्वयं कार्यान्वयन एजेंसी है और इस तरह से इस भाग से पुष्टि प्राप्त करने का सवाल नहीं उठता।
भाग-II : इस मामले के जोर		
1.	टिप्पणी सं.18 - वर्ष की समाप्ति के दौरान बही में बकाया पुरानी देयताएं जो अब वेतन खाते में देय नहीं है, की कुल राशि 1,93,39,872 रु. को दर्शाया गया है एवं उसे लाभ-हानि खाता में जमा किया गया है।	इसे लेखा टिप्पणी 18 में अन्य पुराने जमा शेष राशि और प्रावधान के साथ दर्शाया गया है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
2.	टिप्पणी सं.8 – 31.03.2019 तक ग्राहकों से बकाया अग्रिम राशि 4,25,33,131 रु. में जमा कुल राशि 50,05,510 रु. शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।	मामले को समीक्षा करने के लिए नोट किया गया और मिलान करने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।
3.	टिप्पणी सं.7 – 31.03.2019 तक व्यापार देय की बकाया राशि 3,78,84,476 रु. में जमा कुल राशि 20,31,418 रु. शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।	मामले को समीक्षा करने के लिए नोट किया गया और मिलान करने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।
4.	टिप्पणी सं.4 एवं 14 – जेटीएम, रेटिंग टैंक एवं मैनुअल डवलपमैंट रिबनर प्रोजेक्ट एवं आईजेएसजी हेतु रखे गये सावधि जमा राशि पर प्राप्त ब्याज की कुल राशि 1,20,12,358 रु. को संबंधित परियोजानाओं में जमा की गई है एवं उसे लेखा बही में आय के रूप में नहीं दर्शाये गए हैं। तथापि उस वर्ष की आयकर देय हेतु आय के रूप में उसे विचारा गया है एवं कपंनी द्वारा प्राप्त ब्याज पर टीडीएस का दावा किया गया है।	भापनि केवल इस परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी है; इसिलए भापनि ऐसी अवधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज से सृजित आय का दावा नहीं कर रहा है। मगर चूंकि ये अविध जमा राशि भापनि के नाम से हैं और टीडीएस भापनि के पैन के विरुद्ध बैंकों द्वारा काटे जा रहे हैं, इसलिए भापनि के खातों और संबंधित परियोजनाओं के खातों के बीच आवश्यक आयकर समायोजन प्रविष्टियों पर कार्रवाई की जा रही है।
5.	टिप्पणी सं.14 – 31.03.2019 तक निम्नलिखित बैंक खातों में रखे गए जमा राशि की पुष्टि की जानी है: (ए) एबी-भुवनेश्वर (बैलिंग सेंटर) 551.80 रु. (बी)सीबी-असक्राफ्ट (बैलिंग सेंटर) 1,970.92 रु.	09-10 से एबी-भुवनेश्वर (बैलिंग सेंटर) और सीबी-एसक्रॉफ्ट (बैलिंग सेंटर) की वही शेष राशि जारी हैं। 2019-20 में प्रबंधन द्वारा गैर परिचालित बैंक खातों की समीक्षा की जाएगी और इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
6.	टिप्पणी सं.19 – परिचालन खर्च हेतु 2,28,77,401 रु. वहन हुआ है जिसे कंटेक्टर (सरदार) को अधिकतम श्रम भुगतान के रूप में किया गया है एवं इसलिए संविदात्मक भुगतान होने के नाते वह धारा 194सी के अंतर्गत टीडीएस बनता है। फिर भी ऐसे भुगतान पर टीडीएस की कटौती नहीं की गई है।	निगम विनियमित बाजार यार्ड से अधिकांश मजदूरों को काम पर रखता है और मजदूरों को व्यक्तिगत भुगतान करता है। चूंकि अलग-अलग मजदूरों के खाते में व्यक्तिगत भुगतान किया गया है जो टीडीएस की सीमा से अधिक नहीं है, इसलिए धारा 194सी के अंतर्गत टीडीएस की कटौती ऐसे मामले में लागू नहीं है।
7.	टिप्पणी सं.15 – वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने खरीददारी के एवज में कृषकों/अनजान व्यक्तियों को 1,44,56,518 रु. का अधिक भुगतान किया है। जैसाकि बताया गया कि साफ्टवेयर की त्रुटि के कारण हुई है। 31.03.2019 तक 1,25,10,987 रु. की वसूली हुई है और 31.03.2019 तक शेष राशि 19,45,531 रु. वापसी योग्य है जिसे अल्पावधि ऋण एवं पेशगियां के अंतर्गत अन्य पार्टियों को अग्रिम शीर्षक के अंतर्गत प्रतिबिंबित किया गया है। तथापि उस राशि के विरुद्ध बही में कोई	निगम ने एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद के विरूद्ध ऑनलाइन (डीबीटी या सीधे लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से सीधे जूट कृषकों को भुगतान का संवितरण करने की पहल की थी। इस प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर अपनाया गया था और जूट कृषकों को भुगतान करने के लिए खरीद इनपुट डेटा भी संसाधित किया गया था। हालाँकि, एक अनपेक्षित त्रुटि के कारण जो सामान्य जोखिमों से परे थी जिसे कम्प्यूटरीकरण करते समय नहीं देखा जा सकता था,

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
	भी प्रावधान नहीं रखा गया है जबकि प्रबंधन द्वारा संपूर्ण राशि 19,45,531 रु. को खारा समझा गया है।	डीबीटी के निष्पादन की प्रारंभिक अवधि के दौरान अज्ञात लाभार्थियों को 1.45 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित हो गई थी। प्रबंधन ने तुरंत हमारे बैंकरों के साथ मामला उठाया और राशि जो गलत लाभार्थियों को चला गया था, की वसूली करने में सतत प्रयास किए। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 89 लाख रुपये की वसूली की गई है और वित्तीय वर्ष 18-19 तक प्रारंभिक शेष राशि 55 लाख रुपये था। इसके अलावा हमने लेखापरीक्षा के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान 35.74 लाख रुपये की वसूली की और 31.03.2019 तक अंतिम शेष राशि 19.45 लाख रुपये था। साथ ही, हम शेष राशि की वसूली के लिए बैंकों और आरबीआई के साथ इस मामले का लगातार अनुपालन कर रहे हैं और बकाया राशि वसूल होने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा ब्यौरा को लेखा टिप्पणी-7 में दिया गया है। भविष्य में ऐसी किसी भी त्रुटि को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। 1. बहु स्तरीय जांच 2. आरटीजीएस/एनईएफटी मेंडैट फार्म का प्रस्तावना 3. वित्त अधिकारी द्वारा नमूना के आधार पर जांच करना 4. सीएमडी का अनुमोदन प्राप्त कर साफ्टवेयर बदलना, यदि कुछ हो।
8.	टिप्पणी सं.8 - व्यय एवं अन्य देय की देयता में 1,07,20,641 रु. (गोदाम भाड़ा देय), 2,12,927 रु. (लोरी भाड़ा देय) और 71,16,931 रु. (मार्केट लेवी देय) शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।	मामले को समीक्षा करने के लिए नोट किया गया और मिलान करने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।
9.	टिप्पणी सं.15 एबं 24 - बही में रखे गये वर्तमान प्रावधान से क्रय कर, विक्रय कर एवं वैट के खाते में 4,98,762 रु. अधिक भुगतान किया गया है जिसका समाधान किये बिना वर्ष के दौरान लिखा गया है।	वैट/विक्रय कर का प्रावधान और भुगतान किये गये विक्रय कर/वैट बहुत पुराना है। भुगतान किये गये वैट/विक्रय कर के साथ वैट/विक्रय कर के प्रावधान का समायोजन करने के लिए आंतिरक लेखापरीक्षक की संस्तुति प्राप्त होने के उपरांत उस पर विचार किया गया और तत्पश्चात् इसके प्रभाव को लेखा बही में दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट के कार्य प्रणाली के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता का वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का दायित्व है कि वे स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इस वित्तीय विवरणों पर अपना विचार रखे जो इस अधिनियम की धारा 143(10) के अतंर्गत निर्धारित लेखा मानक के अनुसार हो। यह दर्शाया जाता है कि उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 26 सितम्बर 2019 में ऐसा ही किया गया होगा।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन किया हूं। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से हुआ है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी कर्मी के पूछताछ व कुछ लेखा रिकाडर्स का चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो इस अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत कोई टिप्पणी अथवा सांविधिक लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट के अनुपूरक का जवाब दे।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

(सुपर्णा देव)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 21 नवम्बर, 2019

31 मार्च, 2019 तक का तुलन-पत्र

(राशि रुपये में)

	ब्यौरा	टिप्पणी सं.	31.03.2019 को	31.03.2018 को
I.	**इक्वीटी एवं दायित्व**			
	अंशधारियों की निधि			
	शेयर पूँजी	3 (ए)	5,00,00,000	5,00,00,000
	आरक्षित एवं अधिशेष	3 (बी)	131,50,36,584	126,28,93,617
	अप्रचलित देयताएं			
	अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	21,19,01,121	20,32,37,969
	दीर्घावधि प्रावधान	5	16,12,45,320	12,86,43,559
	चालू देयताएं			
	अल्पावधि उधार	6	5,27,513	36,58,97,664
	व्यापारिक देय	7	3,78,84,476	15,23,30,252
	अन्य चालू देयताएं	8	40,08,55,372	39,51,08,230
	अल्पावधि प्रावधान	9	3,43,46,836	10,57,66,123
	कुल		**221,17,97,222**	**266,38,77,414**
(II)	**परिसम्पत्तियाँ**			
	अप्रचलित परिसम्पत्तियाँ			
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	10	2,48,55,460	2,32,14,432
	अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	10	3,48,565	1,39,569
	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	11	27,245	5,45,313
	चालू परिसम्पत्तियाँ			
	वस्तुसूची	12	43,64,61,164	139,88,86,795
	व्यापारिक प्राप्य	13	19,87,24,382	46,90,05,489
	नकद एवं नकद समतुल्य	14	105,33,92,324	75,60,66,038
	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	15	3,19,71,522	1,41,35,992
	अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	16	46,60,16,560	18,83,786
	कुल		**221,17,97,222**	**266,38,77,414**
	सामान्य सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	1 एवं 2		
	वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियाँ	(26-43)		

उपरोक्त फार्म में दर्शायी गयी टिप्पणियाँ इस वित्तीय विवरणियों का अभिन्न अंग है।

हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते **एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
एफ आर नं. 304012ई

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(मुकेश कुमार पटवारी)
साझेदार
सदस्यता सं.056623

(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

(शेरी लालथंगजो)
निदेशक
डीआईएन-08427300

(अजय कुमार जॉली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-08427305

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26.09.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि का लाभ-हानि विवरण

(राशि रुपये में)

	ब्यौरा	टिप्पणी सं.	31.03.2019 को	31.03.2018 को
I.	**राजस्व**			
	क्रिया-कलापों से राजस्व	17	234,33,83,566	226,82,07,147
	अन्य आय	18	14,07,42,659	6,11,41,227
	कुल राजस्व		**248,41,26,225**	**232,93,48,374**
II.	**खर्चे:**			
	व्यापारिक सामग्री एवं प्रत्यक्ष खर्चे का लागत	19	73,55,24,285	187,05,42,448
	व्यापारिक सामग्री की वस्तुसूची में परिवर्तन	20	96,24,25,631	(45,14,54,305)
	कर्मचारी लाभ खर्चे	21	42,98,40,968	49,93,96,691
	वित्तीय लागत	22	1,10,80,706	1,49,01,110
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्चे	23	16,04,707	9,77,131
	अन्य खर्चे	24	11,62,51,904	10,97,33,291
	विविध खर्चे	25	2,22,59,417	1,06,40,835
	कुल खर्चे		**277,89,87,618**	**205,47,37,201**
	विशिष्ट एवं असाधारण खर्चे के पहले लाभ		20,51,38,607	27,46,11,173
	विशिष्ट मदें		–	–
	असाधारण मदें		–	–
	कर के पहले लाभ		**20,51,38,607**	**27,46,11,173**
	कर खर्चे:			
	वर्तमान कर		(7,73,77,000)	(9,77,91,500)
	विगत वर्ष		(1,17,68,909)	–
	आस्थगित कर		–	–
	कर के बाद लाभ		**11,59,92,698**	**17,68,19,673**
	इक्वीटी शेयर का औसतन सं. (प्रत्येक 100 रु. का अंकित मूल्य)		**5,00,000**	**5,00,000**
	मूल अर्जन प्रति शेयर		232	354
	मिश्रित अर्जन प्रति शेयर		232	354
	सामान्य सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियॉ	1 एवं 2		
	वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियॉ	26-43		
	उपरोक्त फार्म में दर्शायी गयी टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।			

हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
एफ आर नं. 304012ई

(मुकेश कुमार पटवारी)
साझेदार
सदस्यता सं.056623

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

(शेरी लालथंगजो)
निदेशक
डीआईएन-08427300

(अजय कुमार जॉली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-08427305

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26.09.2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	2018-2019	2017-2018
ए. परिचालन के क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह :		
कर एवं पूर्व अवधि का समायोजन के पहले लाभ/(हानि) :	20,51,38,607	27,46,11,173
समायोजन :		
मूल्यह्रास/परिशोधन खर्चे	16,04,707	9,77,131
ब्याज आय	(2,90,38,360)	(3,10,15,301)
वित्तीय लागत	1,10,80,706	1,49,01,110
कार्यकारी पूंजी को परिवर्तन करने के पहले परिचालन लाभ	**18,87,85,159**	**25,94,74,112**
वस्तुसूची में (बढ़ोतरी)/कमी	96,24,25,631	(45,14,54,305)
विविध देनदारों में (बढ़ोतरी)/कमी	27,02,81,107	(46,31,22,955)
ऋण एवं पेशगियां में (बढ़ोतरी)/कमी	(45,95,79,508)	5,90,73,612
देयताओं एवं प्रावधानों में बढ़ोतरी/(कमी)	(15,62,52,304)	11,78,89,801
	80,56,60,586	(47,81,39,735)
बाद: प्रदत्त आयकर	(16,61,30,224)	(2,67,66,370)
परिचालन के क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद प्रवाह	**63,95,30,362**	**(50,49,06,105)**
बी. निवेश की गतिविधियों से नकद प्रवाह :		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/अप्रत्यक्ष परिसम्पतियों का क्रय	(35,09,404)	(8,05,563)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की बिक्री/वसूली	54,673	5,024
प्राप्त ब्याज	2,90,38,360	3,10,15,301
निवेश की गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	**2,55,83,629**	**3,02,14,762**
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह :		
ली गई अल्पावधि ऋण	(36,53,70,151)	36,12,49,389
वित्तीय लागत	(1,10,80,706)	(1,49,01,110)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(37,64,50,857)	34,63,48,279
नकद एवं नकद के समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी	28,86,63,134	(12,83,43,064)
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद के समतुल्य	**55,28,28,069**	**68,11,71,134**
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद के समतुल्य	**84,14,91,203**	**55,28,28,069**

हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
एफ आर नं. 304012ई

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(मुकेश कुमार पटवारी)	**(अभिक साहा)**	**(शेरी लालथंगजो)**	**(अजय कुमार जॉली)**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं.056623		**डीआईएन-08427300**	**डीआईएन-08427305**

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26.09.2019

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण की टिप्पणी

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	2018-2019	2017-2018
1. नकद एवं नकद समतुल्य		
तुलन-पत्र के अनुसार - नकद एवं नकद समतुल्य	105,33,92,324	75,60,66,038
बाद: नकद, बैंक एवं सावधि जमा:		
रेटिंग टैंक (भारत सरकार)	69,39,084	66,92,698
बायो-टेक्नोलॉजिकल रेटिंग टेक्नोलॉजी	1,17,305	1,17,305
आईजेएसजी	14,15,122	13,97,784
भारत सरकार से रिबनर का विकास	1,14,11,091	1,09,53,410
जूट टेक्नोलॉजी मिशन	19,20,18,519	18,40,76,772
कुल नकद एवं नकद समतुल्य	**84,14,91,203**	**55,28,28,069**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी :

1. सामान्य सूचना

वस्त्र मंत्रालय (एम ओ टी) के अधीन भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (भापनि), सीपीएसई की स्थापना भारत में कच्चे जूट के एमएसपी क्रिया-कलाप करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए 1971 में हुआ। प्रांरभ में भापनि ने छोटे व्यापार एजेंसी के रूप में अपना क्रिया-कलाप प्रारंभ किया किन्तु इसके बाद धीरे-धीरे इसने भारत के जूट उगाही क्षेत्रों में अपने नेटवर्क का विस्तार किया और अभी यह सफलतापूर्वक भारत के 6 राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, ओडिशा एवं आन्ध्रप्रदेश) में फैला हुआ है। भापनि अपने 141 विभागीय क्रय केन्द्र एवं 14 क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय लीड डीपीसीज के साथ-साथ कोलकाता में प्रधान कार्यालय के माध्यम से क्रिया-कलाप करता है।

भापनि जूट की खरीददारी करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलापों का निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार है एवं वह कच्चे जूट के बाजार में स्थिरता लानेवाला एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भापनि के मूल्य-समर्थन क्रिया-कलापों में एमएसपी पर कृषकों, सामान्यत: छोटे एवं उपांतिक (मार्जिनल) कृषकों से कच्चे जूट की खरीददारी करना शामिल है जो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना है और जब कच्चे जूट का चालू बाजार मूल्य एमएसपी स्तर पर पहुँच जाता है। ये क्रिया-कलापें अधिक आपूर्ति को रोकते हुए बाजार में कल्पित बफर को सृजित करने में मदद करते हैं ताकि कच्चे जूट के मूल्यों में अंतर-मौसमी चंचलता रुक सके। यह जमीनी मूल्य भी प्रदान करता है जिसपर जूट कृषक अपने उत्पाद को बेच सके।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रिया-कलाप (एमएसपी) के अलावा भापनि कच्चे जूट का वाणिज्यिक क्रिया-कलाप, विविध जूट उत्पादों में व्यापार एवं प्रमाणित जूट बीज का वितरण भी करता है।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

2.1 लेखाकरण का आधार और वित्तीय विवरणों की तैयारी

लेखा को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 एवं उससे संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित लागू भारतीय लेखाकरण सिद्धान्त, लागू लेखाकरण मानकों के साथ सभी सामग्री में अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है। सभी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को निगम के सामान्य परिचालन परिधि एवं कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III में विस्थापित अन्य मानदण्ड के अनुसार चालू अथवा गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत रिबाज के अंतर्गत एकीकृत के आधार पर तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों की तैयारी करने में अपनाये गये लेखाकरण नीतियां विगत वर्ष के समान हैं।

2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं मूल्यह्रास :

(I) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को मूल्यह्रास बाद कर अर्जन के लागत पर दिखाया गया है।

(II) लीजहोल्ड परिसर की लागत को लीज की अवधि में परिशोधित किया गया है।

(III) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित दर एवं उसी भांति से सीधे तौर पर लीजहोल्ड परिसर के अलावे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) संबंधी मूल्यह्रास को दिखाया गया है।

(IV) लीजहोल्ड जमीन के परिसर के मूल्यह्रास को या तो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित दर एवं उसी भांति से उस अवधि में या जमीन लीज की अवधि में, जो भी पहले हो, दर्शाया गया है।

2.3 अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां और परिशोधन

(I) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ जैसे कम्प्यूटर साफ्टवेयर आदि जैसाकि भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस 26) में परिभाषित किया गया है को परिशोधन बाद कर अर्जन के लागत पर दर्शाया गया है।

(II) अप्रत्यक्ष परिसम्पतियों को भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-26 के अनुरूप उसके व्यवहारिक जीवन पर विचार करते हुए पाँच वर्ष के लिए सीधे लाइन पर परिशोधित किया गया है।

2.4 वस्तुसूचियाँ

(I) मूल्य समर्थन क्रियाओं के अन्तर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट के स्टॉक का कीमत इसके लागत या शुद्ध वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, पर की जाती है।

(II) वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अन्तर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट के स्टॉक का कीमत उसके वजन का औसतन लागत या शुद्ध वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, पर की जाती है।

(III) जूट से बनी वस्तुओं का कीमत उसकी लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।

(IV) जूट बीज का कीमत उसकी औसतन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।

(V) लेखा में कच्चे जूट के स्टॉक की मात्रा को 180 किलोग्राम प्रति गांठ में दर्शाया गया है।

2.5 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद जिसमें नकद हाथ में, बैंको में जमा शेष राशि जो नकद राशि में परिवर्तनीय पढ़ा जाता है, सम्मलित है और वह परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

2.6 नकद प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए नकद प्रवाहों का रिपोर्ट किया जाता है जिसके द्वारा अपवादी एवं असाधारण मदों व कर के पहले नकद प्रवृति के लेन-देन के लिए लाभ को समायोजित किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर नकद प्रवाह निगम के परिचालन, निवेश एवं वित्तीय क्रिया-कलापों से अलग रहता है एवं लेखाकरण मानक 3 का अनुपालन किया जाता है।

2.7 कर्मचारियों को लाभ

(i) ग्रेच्युटी

(ए) नियमित कर्मचारीगण

निगम भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्देशित ग्रुप ग्रेच्युटी निधि में नियमित अंशदान करता है एवं इस निधि से नियमित कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता दी जाती है।

(बी) आकस्मिक कर्मचारीगण

निगम ने वास्तविक मूल्य के आधार पर वित्तीय विवरण में आकस्मिक कर्मचारियों के ग्रेच्युटी हेतु देयता प्रदान करता है एवं निगम द्वारा आकस्मिक कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृति पर ग्रेच्युटी देयताएं दी जाती है।

सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देय है जिसका अधिकतम सीमा 20 लाख रु. है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है। भविष्य में होनेवाली वेतन वृद्धि को लेखा में दर्शाया जाता है जब देयता की गणना की जाती है। मंहगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को बीमांकिक मूल्यांकन में उचित ढंग से विचारा गया है। बीमांकिक मूल्यकनों में अंगीकार एवं व्यवहार किये गये कार्यप्रणाली लेखाकरण मानक 15 (2005 में संशोधित) के आवश्यकतानुसार विद्यमान है।

(ii) छुट्टी भुनाने का लाभ (अनिधिक)

निगम नियमित कर्मचारियों को वास्तविक मूल्य के आधार पर सेवानिवृत होने पर वर्त्तमान कर्मचारियों की छुट्टी भुनाने के लाभ को वित्तीय विवरणी में अंतिम तिथि पर देयता प्रदान करता है।

वास्तविक मूल्य में अंगीकार एवं व्यवहार किये गये कार्यप्रणाली लेखाकरण मानक 15 (2005 में संशोधित) के आवश्यकतानुसार विद्यमान है।

(iii) कर्मचारियों को भविष्यनिधि और परिवार पेंशन निधि

भविष्यनिधि एवं पेंशन निधि के अंशदान को उस अवधि के लिए मान्यता दी जाती है जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों ने सेवा दी है। भविष्यनिधि के अंशदान भारतीय पटसन निगम लि. के अंशदायी भविष्यनिधि ट्रस्ट के पास जमा होता है।

कर्मचारियों के भविष्यनिधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान के अनुसार पेंशन निधि के अंशदान क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त के पास जमा होता है।

(iv) छुट्टी यात्रा रियायत

जब कभी कर्मचारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का दावा किया जाता है तब उसे लेखा में दर्शाया जाता है।

2.8 राजस्व अभिज्ञान :

वित्तीय विवरण तैयार करने में आय/व्यय को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष उस राशि की वसूली/भुगतान साधारणतया निश्चित मालूम पड़ता है और/या निपटाई जाती है। निम्नलिखित मामलों के लिए आय/व्यय की मान्यता वास्तविक वसूली पर दी गई है।

(ए) लिखित ऋणों पर ब्याज की आय यदि कुछ हो।

(बी) कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज यदि कुछ हो।

(सी) बीमा कंपनियों एवं अन्य अभिकरणों के पास दर्ज की गई अस्थाई दावे यदि कुछ हो।

(डी) ढुलाई लागत यदि कुछ हो।

(ई) एमएसपी क्रिया-कलाप के लिए सरकार से आर्थिक सहायता को उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाता है, यदि वह अनुमोदन उस वर्ष के लेखा का अंतिम रुप देने के पहले प्राप्त होता है। यदि आर्थिक सहयता का सरकारी अनुमोदन उस वर्ष के लेखा का अंतिम रुप देने के उपरांत प्राप्त होता है तब लेखा में उचित टिप्पणी के साथ उसे अनुमोदन प्राप्त होनेवाले वर्ष में दर्शाया जाता है।

(एफ) बाजार लेवी को लेखा में दर्शाया जाता है जब कभी उसकी मांग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में नियमक बाजार समिति द्वारा उठाया जाता हैं।

2.9 वेतनमान का संशोधन करने के लिए देयता

कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में संशोधन/बढ़ोतरी करने के लिए देयता को उस वर्ष में ही मान्यता दी जाती है जिस वर्ष सरकार उसे अनुमोदित करता है तथा/या निगम को अधिसूचित करता है।

2.10 पूर्व अवधि का समायोजन

विगत वर्ष से संबंधित 10,000 रु. से अधिक का व्यक्तिगत लेन-देन को पूर्व अवधि का समायोजन लेखा के अंतर्गत दिखाया गया है।

2.11 चालू एवं आस्थगित कर हेतु प्रावधान

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अंतर्गत स्वीकार योग्य लाभ पर विचार करने के उपरांत चालू कर के लिए प्रावधान बना है।

आस्थगित कर को वर्ष के कर योग्य आय एवं लेखाकरण आय के बीच अंतर होने की वजह से समय के अंतर पर मान्यता दी जाती है और संभवत: एक या उससे अधिक बार आगामी अविध में उल्टा हो जाता है (एएस 22 के अनुरूप)।

2.12 परिसंपत्तियों की हानि

परिसंपत्ति को खराब के रुप में समझा गया जब परिसंपत्तियों का ढुलाई लागत उसकी वापसी योग्य कीमत से अधिक हो गया। हानि को वर्ष के लाभ-हानि खाता में दिखाया गया है जिसमें परिसंपत्ति को खराब के रुप में चिह्नीत किया गया है। यदि वापसी योग्य कीमत का आकलन करने में परिवर्तन हुआ है तो लेखाकरण अवधि के पूर्व मान्यता दी गई हानि में उलट-फेर हुई है।

2.13 प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियां

विगत घटनाओं के फलस्वरुप जब वर्तमान दायित्व रहता है तब मापने में अनुमान की पर्याप्त डिग्री को शामिल करते हुए प्रावधान को मान्यता दी जाती है एवं यह संभव है कि यह संसाधन से बाहर होगा। प्रासंगिक देयताओं को मान्यता दी गई है एवं उसे टिप्पणी में दिखाया गया है। प्रासंगिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी गई है न ही वित्तीय विवरणियों में दिखलाया गया है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 3(ए): शेयर पूंजी

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
प्राधिकृत पूंजी		
100 रु. का प्रत्येक शेयर की 5,00,000 इक्वीटी शेयर	5,00,00,000	5,00,00,000
	5,00,00,000	5,00,00,000
जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी		
100 रु. का प्रत्येक शेयर की सम्पूर्ण चुकता का 5,00,000 इक्वीटी शेयर	5,00,00,000	5,00,00,000
	5,00,00,000	5,00,00,000

(ए) वर्ष की समाप्ति पर बकाया इक्वीटी शेयरों का समाधान	**शेयरों की सं.**	**राशि**	**शेयरों की सं.**	**राशि**
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	5,00,000	5,00,00,000	5,00,000	5,00,00,000
वर्ष के दौरान जारी किये गये शेयर	–	–	–	–
बाद: वर्ष के दौरान खरीदे गये शेयर	–	–	–	–
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या	5,00,000	5,00,00,000	5,00,000	5,00,00,000

(बी) इक्वीटी शेयरों के साथ संलग्न नियम और अधिकार
कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी की इक्वीटी शेयर है और इसमें शेयर होल्डर को शेयर के अनुरूप वोट देने का अधिकार है।

(सी) कंपनी में 5% शेयरों से अधिक रखने वाले शेयर होल्डरों का ब्यौरा।

शेयर होल्डर का नाम	**31 मार्च, 2019 तक**		**31 मार्च 2018 तक**	
	शेयरों की सं.	**होल्डिंग की %**	**शेयरों की सं.**	**होल्डिंग की %**
भारत के राष्ट्रपति	499998	99.99%	499998	99.99%

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 3 (बी): आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	31.03.2019 तक		31.03.2018 तक	
अधिशेष				
विगत तुलन-पत्र के अनुसार	126,28,93,617	–	111,92,92,642	–
योग : इस वर्ष का लाभ/(हानि)	11,59,92,698	–	17,68,19,673	–
	137,88,86,315	–	129,61,12,315	–
बाद : प्रदत्त लाभांश	5,30,50,000	–	2,76,00,000	–
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश बंटन कर	1,07,99,731	131,50,36,584	56,18,698	126,28,93,617
शुद्ध अधिशेष		**131,50,36,584**		**126,28,93,617**

टिप्पणी 4. अन्य दीर्घावधि देयताएं

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
परियोजना निधि में जमा शेष राशि		
रेटिंग टैंक (भारत सरकार)	69,39,084	66,92,698
बायो टेक्नोलॉजीकल रेटिंग टेक्नोलॉजी	1,17,305	1,17,305
आई जे एस जी	14,15,122	13,97,784
भारत सरकार से रिबनर का विकास	1,14,11,091	1,09,53,410
जूट टेक्नोलॉजी मिशन	19,20,18,519	18,40,76,772
कुल	**21,19,01,121**	**20,32,37,969**

टिप्पणी 5. दीर्घावधि प्रावधान

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान:		
ग्रैच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी)	6,20,50,556	3,84,92,722
छुट्टी का वेतन (नियमित कर्मचारी)	9,91,94,764	9,01,50,837
कुल	**16,12,45,320**	**12,86,43,559**

टिप्पणी 6. अल्पावधि उधार

अन्य दीर्घावधि देयताएँ	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
भारतीय सेंट्रल बैंक से नकदी ऋण	75,259	36,58,97,664
पंजाब नेशनल बैंक से नकदी ऋण	4,52,254	–
	5,27,513	**36,58,97,664**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 7. व्यापारिक देय

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	31.03.2019 तक		31.03.2018 तक	
समस्त लेनदार	–	3,78,84,476	–	15,23,30,252
	–	**3,78,84,476**	–	**15,23,30,252**

टिप्पणी 8. अन्य चालू देयताएँ

ब्यौरा	31.03.2019 तक		31.03.2018 तक	
बयाना जमा राशि	–	6,60,38,252	–	26,43,092
प्रतिभूति जमा	–	5,30,000	–	5,80,000
प्रतिधारण राशि	–	90,74,289	–	1,43,99,201
भविष्य निधि देय	–	59,38,058	–	59,48,203
खर्चे का देयता एवं अन्य देय	–	25,78,39,442	–	26,21,93,737
परियोजना निधि में शेष राशि				
परियोजना आई-केयर	–	3,30,224	–	6,43,19,929
पायलट परियोजना खाता	–	47,748	–	47,748
परियोजना साजसज्जा मशीन	–	10,88,417	–	10,88,417
परियोजना संतृप्ति	–	48,38,462	–	48,38,462
सामान्य सुविधा केंद्र	–	29,59,105	–	32,91,241
ग्राहकों से अग्रिम	–	4,25,33,131	–	2,85,91,726
दावे देय	–	86,11,233	–	61,39,463
जेटीएम से अग्रिम	–	10,27,011	–	10,27,011
	–	**40,08,55,372**	–	**39,51,08,230**

टिप्पणी 9. अल्पावधि प्रावधान

ब्यौरा	31.03.2019 तक		31.03.2018 तक	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
बोनस	11,59,000		14,65,917	
छुट्टी का वेतन (नियमित कर्मचारी)	2,69,83,410		3,65,07,998	
ग्रैच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी)	62,04,426		1,61,76,619	
		3,43,46,836		**5,41,50,534**
आयकर का प्रावधान				
विगत खाता के अनुसार शेष राशि	–		51,03,72,403	
वर्ष के दौरान योग	–		10,14,95,536	
	–		**61,18,67,939**	
बाद : अग्रिम कर प्रदत्त	–		(56,02,52,350)	5,16,15,589
	–	**3,43,46,836**	–	**10,57,66,123**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 10. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(राशि रुपये में)

प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
						योग				
	31.03.2018 तक	योग	लोप/ समायोजन	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक	वर्ष के लिए	लोप/ समायोजन	31.03.2019 तक	31.3.2019 तक	31.3.2018 तक
पट्टे पर परिसर	2,59,98,440	-	-	2,59,98,440	50,03,577	3,18,553	-	53,22,130	2,06,76,310	2,09,94,863
फर्नीचर एवं फिक्र्स	45,89,952	-	-	45,89,952	42,73,005	36,516	-	43,09,521	2,80,431	3,16,947
कार्यालय के सामान	14,60,625	1,25,920	-	15,86,545	12,81,838	54,866	-	13,36,704	2,49,841	1,78,787
डीपीसी के सामान	10,97,557	6,24,750	-	17,22,307	8,12,345	35,763	-	8,48,108	8,74,199	2,85,212
कम्प्यूटर	53,74,678	25,03,854	1,88,459	76,90,073	40,99,080	10,77,830	1,33,786	50,43,124	26,46,949	12,75,598
विद्युत संस्थापन	4,95,688	-	-	4,95,688	4,56,891	9,988	-	4,66,879	28,809	38,797
वातानुकूलित यंत्र	6,00,045	-	-	6,00,045	4,75,817	25,307	-	5,01,124	98,921	1,24,228
साइकिलें	1,32,357	-	-	1,32,357	1,32,357	-	-	1,32,357	-	-
कुल योग (ए)	**3,97,49,342**	**32,54,524**	**1,88,459**	**4,28,15,407**	**165,34,910**	**15,58,823**	**1,33,786**	**1,79,59,947**	**2,48,55,460**	**2,32,14,432**
अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (बी)	2,42,278	2,54,880	-	4,97,158	1,02,709	45,884	-	1,48,593	3,48,565	1,39,569
चालू वर्ष (ए+बी)	**3,99,91,620**	**35,09,404**	**1,88,459**	**4,33,12,565**	**1,66,37,619**	**16,04,707**	**1,33,786**	**1,81,08,540**	**2,52,04,025**	**2,33,54,001**
विगत वर्ष	**3,91,93,665**	**8,05,563**	**7,608**	**3,99,91,620**	**1,56,63,072**	**9,77,131**	**2,584**	**1,66,37,619**	**2,33,54,001**	-

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

टिप्पणी 11. दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
प्रतिभूति जमा	27,245	5,45,313
	27,245	**5,45,313**

टिप्पणी 12. वस्तुसूची

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
कच्चा जूट-मूल्य समर्थन	26,00,01,715	104,25,27,694
कच्चा जूट-वणिज्यिक	17,32,48,126	34,71,94,645
जूट बीज	24,43,834	87,53,471
जूट विविध उत्पाद	7,67,489	4,10,985
	43,64,61,164	**139,88,86,795**

टिप्पणी 13. व्यापारिक प्राप्य

ब्यौरा	31.03.2019 तक		31.03.2018 तक	
(असुरक्षित, खरा समझा गया)				
छः महीने से अधिक का बकाया ऋण	1,30,09,004		8,38,975	
अन्यान्य	18,57,15,378	19,87,24,382	46,81,66,514	46,90,05,489
(असुरक्षित, संदेहात्मक समझा गया)	6,65,668		6,65,668	–
संदेहात्मक ऋण का प्रावधान	(6,65,668)	–	(6,65,668)	–
		19,87,24,382		**46,90,05,489**

टिप्पणी 14. नकद एवं नकद समतुल्य

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
नकद एवं नकद समतुल्य		
बैंक में जमा शेष राशि		
चालू खाते में	7,55,00,659	5,30,05,298
बचत खाते में	1,05,48,376	3,94,17,033
जमा खाते में	96,66,80,212	66,21,12,213
हाथ में नकद	6,63,078	15,31,495
	105,33,92,324	**75,60,66,038**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 15. अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	31.03.2019 तक		31.03.2018 तक	
नकद या इसी प्रकार में या प्राप्त होनेवाले मूल्य के लिए वसूली योग्य पेशगियां				
कर्मचारियों को अग्रिम	7,33,359	7,33,359	5,11,350	5,11,350
अन्य पार्टियों को अग्रिम	–	–	–	–
असुरक्षित एवं खरा समझा गया	68,34,520		1,17,91,628	
असुरक्षित एवं संदेहात्मक समझा गया	6,94,312		8,46,522	
बाद: प्रावधान रखा हुआ	(6,94,312)	68,34,520	(8,46,522)	1,17,91,628
पूर्वदत्त खर्चे	–	25,32,916	–	15,40,667
राजस्व प्राधिकारियों को अग्रिम				
अग्रिम विक्रय कर एवं वैट	–	–	3,15,31,231	–
बाद : प्रावधान	–	–	(3,12,96,831)	2,34,399
अग्रिम आयकर	72,63,82,574	–	–	–
बाद: आयकर के लिए प्रावधान				
विगत लेखानुसार जमा शेष राशि	(61,18,67,939)	–	–	–
वर्ष के दौरान योग	(9,26,43,907)	–	–	–
	(70,45,11,846)	2,18,70,728	–	–
परियोजनों हेतु अग्रिम				
भूबन जम्प प्रोजेक्ट	–	–	–	57,947
		3,19,71,522		**1,41,35,992**

टिप्पणी 16. अन्य चालू परिसम्पतियाँ

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
अर्जित ब्याज किन्तु बकाया नहीं	8,22,643	18,83,786
भारत सरकार से प्राप्ति योग्य आर्थिक सहायता	42,50,00,000	–
प्राप्ति योग्य बीमा दावे	4,01,93,917	–
	46,60,16,560	**18,83,786**

टिप्पणी 17. परिचालन से राजस्व

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
विक्रय-मूल्य समर्थन	156,09,64,652	172,73,08,475
विक्रय-वाणिज्यिक	25,26,46,616	2,11,21,113
विक्रय-सोनाली	51,07,289	17,01,475
विक्रय-जूट बीज	3,22,50,722	5,80,79,183
बाद: प्रदत्त दावे	(75,85,713)	(78,03,099)
कुल	**184,33,83,566**	**180,04,07,147**
टिप्पणी 17.1 अन्य परिचालन राजस्व		
भारत सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	50,00,00,000	46,78,00,000
कुल	**234,33,83,566**	**226,82,07,147**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 18. अन्य आय

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
ब्याज आय	2,90,38,360	3,10,15,301
ढुलाई लागत (मूल्य समर्थन)	4,34,80,303	1,65,82,190
देयता को दीर्घावधि तक लिखने की जरुरत नहीं	1,96,09,135	1,37,02,524
बीमा दावे	4,12,19,582	–
अन्य आय	5,79,205	4,87,404
पर्यवेक्षण प्रभार (परियोजनाओं)	49,50,088	–
पूर्व अवधि का समायोजन (टिप्पणी-18.1 के संदर्भ में)	18,65,986	(6,46,192)
	14,07,42,659	**6,11,41,227**

टिप्पणी 18.1. पूर्व अवधि का समायोजन

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
भ्रमण एवं यातायात	–	(16,807)
कार खर्चे	–	(50,070)
विविध खर्चे	–	(36,065)
कानूनी खर्चे	–	(5,43,250)
पर्यवेक्षण प्रभार (परियोजनाओं)	18,65,986	–
शुद्ध नामें (-) / जमा	**18,65,986**	**(6,46,192)**

टिप्पणी 19. व्यापारिक सामग्री एवं प्रत्यक्ष खर्चे का लागत

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
क्रय		
कच्चा जूट-मूल्य समर्थन	66,78,85,653	172,15,89,400
कच्चा जूट-वाणिज्यिक	–	21,48,294
जूट विविध उत्पाद	46,67,925	13,39,836
जूट बीज	2,59,43,060	5,96,09,695
उप योग (ए)	**69,84,96,638**	**178,46,87,225**
प्रत्यक्ष खर्चे		
परिचालन खर्चे	3,24,23,565	6,73,33,464
कर एवं लेवी	46,04,082	1,85,21,759
उप योग (बी)	**3,70,27,647**	**8,58,55,223**
कुल	**73,55,24,285**	**187,05,42,448**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 20. व्यापारिक सामान की वस्तुसूची में परिवर्तन

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
प्रारंभिक स्टॉक :		
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	104,25,27,694	29,97,49,370
कच्चा जूट -वाणिज्यिक	34,71,94,645	64,71,72,442
जूट बीज	87,53,471	-
जूट विविध उत्पाद	4,10,985	5,10,678
कुल	**139,88,86,795**	**94,74,32,490**
अंतिम स्टॉक :		
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	26,00,01,715	104,25,27,694
कच्चा जूट - वाणिज्यिक	17,32,48,126	34,71,94,645
जूट बीज	24,43,834	87,53,471
जूट विविध उत्पाद	7,67,489	4,10,985
कुल	**43,64,61,164**	**139,88,86,795**
शुद्ध : (वृद्धि)/कमी	**96,24,25,631**	**(45,14,54,305)**

टिप्पणी 21. कर्मचारी हित खर्चे

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
वेतन एवं भत्ते	21,19,63,036	32,62,62,756
मजदूरी	6,94,09,395	5,26,09,327
निदेशकों का पारिश्रमिक	37,40,055	47,55,003
बोनस	12,34,782	17,02,527
किराया आवास	-	6,60,000
पेंशन निधि में निगम का अंशदान	59,48,513	78,93,980
ग्रेच्युटी निधि में निगम का अंशदान	5,56,99,165	76,45,758
सेवानिवृत आकस्मिक कर्मचारियों को मुआवजा	-	5,21,000
भविष्य निधि में निगम का अंशदान	1,64,40,110	3,23,85,295
स्टाफ कल्याण व्यय	57,70,116	72,86,924
सेवानिवृत्ति पर छुट्टी भुनाने का लाभ	5,08,88,804	3,97,19,077
चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	77,48,882	1,74,69,099
सीपीएफ का प्रशासनिक प्रभार	3,37,867	4,85,945
अवकाश यात्रा व्यय	6,60,243	-
	42,98,40,968	**49,93,96,691**

टिप्पणी 22. वित्तीय लागत

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
नकद ऋण पर ब्याज	1,10,80,706	1,49,01,110
कुल	**1,10,80,706**	**1,49,01,110**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी 23. मूल्यह्रास एवं परिशोधित खर्च

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
मूल्यह्रास	16,04,707	9,77,131
कुल	**16,04,707**	**9,77,131**

टिप्पणी 24. अन्य खर्चे

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
छपाई एवं लेखन सामग्री	12,76,526	12,46,933
विद्युत प्रभार	18,28,034	21,10,676
किराया	20,72,666	14,57,450
गोदाम भाड़ा एवं भंडारण	1,75,01,299	1,65,50,571
मरम्मत एवं नवीनीकरण	18,31,683	74,38,847
कार्यालय का रख-रखाव खर्च	2,16,403	3,47,971
महसूल एवं कर	58,695	2,28,321
बीमा	30,63,221	20,70,054
भ्रमण और यातायात	72,64,410	60,40,237
कानूनी एवं पेशेवर शुल्क	16,29,732	31,46,277
भाड़ा	6,44,78,504	5,28,27,920
जीएसटी एवं सेवा कर	2,08,598	6,09,005
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	2,71,400	2,71,400
अन्य लेखापरीक्षा शुल्क	2,95,031	1,41,600
दूरभाष प्रभार	8,37,585	13,06,987
डाक एवं तार	1,01,439	1,27,471
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	1,60,561	1,83,126
मनोरंजन	3,90,568	3,13,325
सम्मेलन एवं बैठक खर्चे	10,63,611	7,91,681
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के खर्चे	34,96,011	26,94,542
विज्ञापन एवं प्रचार	18,39,520	21,26,008
कार खर्चे	50,00,005	57,03,923
अशोध्य एवं संदेहात्मक ऋण लिखित	–	40,730
बैंक प्रभार	1,65,065	2,04,360
मेला एवं प्रदर्शनी	7,02,574	17,53,876
वैट एवं विक्रय कर के नामें जमा शेष राशि लिखित	4,98,763	–
कुल	**11,62,51,904**	**10,97,33,291**

टिप्पणी 25. विविध खर्चे

ब्यौरा	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
मानदेय एवं अन्य शुल्क	3,93,680	3,99,500
आर. ओ. खर्चे एवं प्र. का. खर्चे	1,36,77,891	1,02,41,335
सुरक्षा गार्ड खर्चे	81,87,846	–
कुल	**2,22,59,417**	**1,06,40,835**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों की टिप्पणियां

26. कर्मचारियों को सेवानिवृत लाभ से संबंधित प्रकटीकरण

i. गेच्युटी (नियमित)

एलआईसीआई द्वारा की गई मांग के अनुसार वर्ष के दौरान निगम ने नियमित कर्मचारियों के लिए अपना ग्रेच्युटी देयता 5,60,191 रु. (विगत वर्ष 4,05,125 रु.) लेखा में दर्शाया है।

ii. ग्रेच्युटी (आकस्मिक)

वर्ष के दौरान निगम ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर आकस्मिक कर्मचारियों के लिए अपना ग्रेच्युटी देयता 6,82,54,982 रु. (विगत वर्ष 5,46,69,341 रु.) प्रदान किया है। वास्तविक अंगीकार का आधार निम्न प्रकार हैं।

मूल्यांकन करने का आधार

	31.03.2019	31.03.2018
छूट की दर प्रति वर्ष (चक्रवृद्धि)	6.70%	6.60%
वेतन में वृद्धि दर	14.00%	10.00%
कर्मचारियों का कार्य जीवन अनुमानित औसतन रहेगा	2.61 वर्ष	3.10 वर्ष

(iii) छुट्टी भुनाने का लाभ

वर्ष के दौरान निगम ने वास्तिवक मूल्यांकन के आधार पर नियमित कर्मचारियों के लिए उनकी छुट्टी भुनाने की देयता राशि 12,61,78,174 रु. (विगत वर्ष 12,66,58,835 रु.) लेखा में दर्शाया है।

(iv) मजदूरी

आकिस्मक कर्मचारियों को 4,17,05,777 रु. भुगतान किया गया जिसमें मंत्रालय के आदेश सं-490 11/31/2008-ईस्ट(सी) दिनांक 23.01.2012 के अनुसार वित्तीय वर्ष 01.04.2018 से 30.11.2018 की अवधि के बकाया वेतन के लिए रखे गये 85,33,218 रु. का प्रावधान (विगत वर्ष शून्य) शामिल है।

27. प्रासंगिक देयताएं

प्रासंगिक देयताओं (महत्वपूर्ण देयताओं को छोड़कर, यदि उसपर कुछ हो तो) को लेखा में नहीं दर्शाया गया है :

क्रम सं		31.03.2019 रु.	31.03.2018 रु.
1.	निगम के विरुद्ध दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	15,56,40,716	16,86,05,378
2.	अन्य रकम जिससे निगम प्रासंगिक रुप से दायी है।	12,07,44,491	14,00,48,257

अन्य रकम जिससे निगम प्रासंगिक रुप से दायी है, में कंपनी द्वारा विवादित आयकर की मांग की कुल राशि 1,207.44 लाख रु. (विगत वर्ष 1,400.48 लाख रु.) शामिल है। यह मामला निर्धारण अधिकारी/सीआईटी(ए)/आयकर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष सुधार करने/अपील के अधीन है एवं कंपनी अपने पक्ष में अपील का फैसला सुनने के लिए आशान्वित है।

28. सीएसआर खर्चे

कंपनी ने वर्ष के दौरान 34,96,011 रु. (विगत वर्ष 26,94,542 रु.) कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) के लिए खर्च किया है जो कंपनी के सीएसआर की नीति के अनुरूप है और उसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर खर्चे	19,50,559 रु.
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सीएसआर खर्चे	15,45,452 रु.

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 39.10 लाख रुपये का कुल सीएसआर बजट (विगत वर्ष 31.51 लाख रुपये) है जिसमें से अव्ययित राशि 19.59 लाख रुपये (वित्तीय वर्ष 2017-18, रु.15.45 लाख) को वित्तीय वर्ष 2019-20 में खर्च करने की योजना बनाई गई है।

29. माइक्रो, छोटा एवं मध्यम संस्था विकास अधिनियम, 2006 : माइक्रो, छोटा एवं मध्यम संस्था विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत माइक्रो, छोटा एवं मध्यम संस्था से संबंधित प्रकटन करने की जरुरत है। तथापि किसानों/कृषकों से खरीदे जा रहे जूट को ध्यान में रखते हुए जिसका भुगतान तुरंत ही नकद किया जाता है, उसे खाते में अलग से प्रकटन नहीं किया गया है।

30. परियोजनाओं से संबंधित प्रकटन

जूट प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान हेतु

(31 मार्च, 2019 तक) *(रु. में)*

अनुदान का नाम	प्राप्त राशि	अर्जित ब्याज	संवितरण	बकाया शेष राशि
(ए) जूट की गुणवत्ता में सुधार (रेटिंग टेक्नोलॉजी)	40,00,000 (40,00,000)	53,16,986 (48,60,441)	23,77,902 (21,67,743)	69,39,084 (66,92,698)
(बी) मैनुअल/पावर ड्राइवन रिबनर मशीन का विकास	34,00,000 (34,00,000)	90,12,727 (82,59,718)	10,01,636 (7,06,308)	1,14,11,091 (1,09,53,410)
(सी) बायो टेक्नोलॉजीकल रेटिंग	9,00,000 (9,00,000)	– –	7,82,695 (7,82,695)	1,17,305 (1,17,305)
(डी) जूट प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम)	60,05,00,000 (60,05,00,000)	15,87,56,775 (14,79,78,431)	56,72,38,256 (56,44,01,659)	19,20,18,519 (18,40,76,772)

उपरोक्त परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज संबंधित परियोजना निधि में जमा हुआ है।

31. अवरुद्ध चेक

लाभार्थियों के साथ लंबित विवाद के कारण अवरुद्ध चेक शीर्षक के अंतर्गत 8,27,036 रु. (विगत वर्ष 7,28,482 रु.) रखा जा रहा है।

32. निदेशकों का पारिश्रमिक नीचे समाविष्ट किया गया है जो लेखा से संबंधित शीर्षक के नामें हैं :

	31.03.2019 (रु.)	31.03.2018 (रु.)
(ए) वेतन	36,80,055	49,35,003
(बी) छुट्टी भुनाने का	27,43,903	–
(सी) भविष्य निधि, पेंशन एवं ग्रेच्युटी में अंशदान	3,48,193	5,00,199
(डी) भाड़ा आवासीय	–	6,60,000
(ई) अन्यान्य	9,86,142	6,23,214
(एफ) क्लब खर्चे एवं विविध	38,959	68,539
(जी) बैठक शुल्क	60,000	–
कुल	**78,56,446**	**67,86,955**

33. निगम के प्रति शेयर उपार्जन को निम्न प्रकार से परिकलित किया गया है :

	31.03.2019 (रु.)	31.03.2018 (रु.)
इस वर्ष का लाभ/(हानि)	11,59,92,698	17,68,19,673
इक्वीटी शेयर की सं. का औसतन वजन	5,00,000	5,00,000
प्रति शेयर उपार्जन (मूल और मिश्रित)	232	354

34. आस्थागित कर

आस्थागित कर परिसम्पत्ति (डीटीए) - डीटीए की समीक्षा को विगत वर्ष से चालू वर्ष में डीटीए की मान्यता के साथ लाया गया है।

लेखाकरण मानक-22 (एएस 22) में प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर डीटीए की वहन राशि की आवश्यकता को विनिर्दिष्ट करता है। यह भी विनिर्दिष्ट करता है कि डीटीए को मान्यता दिया जाएगा और आगे लाया जाएगा, यदि पर्याप्त कर योग्य आय सही रूप में उचित हो जिसके विरुद्ध ऐसे डीटीए को वसूला जा सके।

निगम का मुख्य उद्देश्य कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप का संचालन करना है और यह कच्चे जूट के बाजार मूल्य की अस्थिरता पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि यदि एमएसपी क्रिया-कलाप होता है तो भी यह निश्चित नहीं है कि निगम एक साकारात्मक मार्जिन के साथ एसएसपी में शामिल लागत को वसूल करने में सक्षम होगा क्योंकि वह समय-समय पर लागू होने वाले सरकारी निर्णय/नीति पर पूरी तरह निर्भर है। यद्यापि भारत सरकार सामान्य रूप से एमएसपी की कुछ लागत को पूरा करने के लिए निगम को प्रीफिक्सड वार्षिक आर्थिक समर्थन प्रदान करता है लेकिन यह दोनों आधारिक संरचना की लागत एवं जूट की खरीद एवं संबंधित गतिविधियों की लागत को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त आने वाले वर्षों के लिए अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से ऐसे वार्षिक आर्थिक समर्थन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में यह सठीक रूप से कहा जा सकता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय होने का कोई उचित कारण नहीं है जो किसी भी पहले का और मान्यता प्राप्त डीटीए वसूला जा सके।

35. भारत के सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 18 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन का प्रकटन निम्न प्रकार हैं:

ब्यौरा	संबंधित पार्टी का नाम
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	1. डा. के.वी.आर.मूर्ति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.01.2019 तक) 2. सीए पी. दाशगुप्ता, निदेशक वित्त (05.07.2018 तक) 3. श्री अजय कुमार जॉली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.02.2019 से) 4. श्री अभिक साहा, कंपनी सचिव

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक):

लेन-देन की प्रवृति	संबंध	राशि रु. में	
		2018-19	2017-18
वेतन (मकान किराया सहित)			
डा. के.वी.आर.मूर्ति	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.01.2019 तक)	26,96,193	27,19,672
सीए पी. दासगुप्ता	निदेशक (वित्त) (05.07.2918 तक)	6,97,785	27,15,530
श्री अजय कुमार जॉली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.02.2019 से)	6,34,270	–
अभिक साहा	कंपनी सचिव	11,06,351	8,52,874

36. व्यापार की गई सामानों से संबंधित सूचना

	2018-2019			2017-18		
ब्यौरा	**गांठ**	**क्विं**	**रु.**	**गांठ**	**क्विं**	**रु.**
(ए) क्रय						
कच्चा जूट	1,08,519	–	66,78,85,653	3,15,260	–	172,37,37,694
जूट बीज	–	4,989.05	2,59,43,060	–	7,557.01	5,96,09,695
विविध जूट उत्पाद	–	–	46,67,925	–	–	13,39,836
	1,08,519	**4,989.05**	**69,84,96,638**	**3,15,260**	**7,557.01**	**178,46,87,225**
(बी) विक्रय						
कच्चा जूट	2,57,005	–	180,60,25,555	2,48,562	–	174,84,29,588
जूट बीज	–	5,714.88	3,22,50,722	–	6,447.29	5,80,79,183
विविध जूट उत्पाद	–	–	51,07,289	–	–	17,01,475
	2,57,005	**5,714.88**	**184,33,83,566**	**2,48,562**	**6,447.29**	**180,82,10,246**
(सी) प्रारंभिक स्टॉक						
कच्चा जूट	2,24,231	–	138,97,22,339	1,57,433	–	94,69,21,821
जूट बीज	–	1,109.72	87,53,471	–	–	–
विविध जूट उत्पाद	–	–	4,10,985	–	–	5,10,678
	2,24,131	**1,109.72**	**139,88,86,795**	**1,57,433**	**–**	**94,74,32,490**
(डी) अंतिम स्टॉक						
कच्चा जूट	75,645	–	43,32,49,841	2,24,131	–	138,97,22,339
जूट बीज	–	383.89	24,43,834	–	1,109.72	87,53,471
विविध जूट उत्पाद	–	–	7,67,489	–	–	4,10,985
	75,645	**383.89**	**43,64,61,164**	**2,24,131**	**1,109.72**	**139,88,86,795**
(ई) प्राप्त दावे						
जूट बीज	–	–	–	–	–	–
(एफ) कच्चे जूट के वजन में (कमी)/वृद्धि	1,657	–	–	4,673	–	–

लेखा में स्टॉक की मात्रा को 180 कि.ग्रा. प्रति गांठ में दर्शाया गया है।

37. अन्य पार्टियों को अग्रिम में पार्टियों से प्राप्य 19,45,531 रु. को शामिल किया गया है जिसका साफ्टवेयर की त्रुटि की वजह से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अधिक/त्रुटिपूर्ण भुगतान हुआ है। अभी 1,68,904 रु. की वसूली हुई है एवं 31.07.2019 तक 17,76,629 रु. बकाया है।

38. 5,56,99,165 रु. का ग्रेच्युटी निधि में निगम का अंशदान जैसाकि लाभ-हानि खाता विवरणी (टिप्पणी 21) में दर्शाया गया है जिसमें 6वां एवं 7वां सीपीसी के अनुसार वेतन संशोधित होने के कारण 01.01.2006 से 30.11.2018 अवधि के दौरान सेवानिवृत्त आकस्मिक कर्मचारियों को देय बकाया ग्रेच्युटी हेतु देयताएं होने के नाते 1,99,81,031 रु. की राशि शामिल है।

39. **रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर लाभांश को मान्यता नहीं दी गई है:**

भारत सरकार के निदेशानुसार निदेशकगण ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अपने शेयरधारक अर्थात् भारत सरकार को 69.60 रु. (विगत वर्ष 106.10 रु) प्रति शेयर के हिसाब से लाभांश का भुगतान करने की संस्तुति पर विचार किया है। लाभांश के रूप में कुल जानेवाली राशि 4,19,53,240 रु. (विगत वर्ष 6,38,49,731 रु.) होगा जिसमें लाभांश वितरण कर शामिल है। आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्य का अनुमोदन प्राप्त होने पर लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

40. एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत बिमली जूट की बिक्री पर होनेवाली क्षति के लिए सरकार से मिलने वाली क्षतिपूर्ति को इस वर्ष के खाते में लेखाबद्ध किया जाएगा जिसमें बिमली जूट के पूरे स्टॉक का निपटारा किया जाएगा और सरकार के पास दावा किया जाएगा।

41. वर्ष के दौरान असम के गोलपाड़ा डीपीसी में आग लग गया जिससे 4,01,93,917 रु. के वाणिज्यिक कच्चे जूट का स्टॉक नष्ट हो गया। संपूर्ण क्षतिग्रस्त स्टॉक बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया गया था। तदनुसार संपूर्ण क्षति का दावा बीमा कंपनी के पास विधिवत दर्ज किया गया है और खाते में विधिवत लेखाबद्ध किया गया है। दावे का निपटान अभी तक लंबित है।

42. जहाँ भी जरुरत पड़ा है वहाँ विगत वर्ष के आंकड़ों को पुन:वर्गीकृत और पुन:व्यवस्थित किया गया है। कोष्टक में दिये गये आंकड़े विगत वर्ष के आंकड़े हैं।

43. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के आवश्यकतानुसार दी जानेवाली अपेक्षित अन्य सूचना को शून्य पढ़ा जाय।

वास्ते **एम. सी. जैन एण्ड कं.**
सनदी लेखापाल
एफ आर नं. 304012ई

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(मुकेश कुमार पटवारी)
साझेदार
सदस्यता सं.056623

(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

(शेरी लालथंगजो)
निदेशक
डीआईएन-08427300

(अजय कुमार जॉली)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-08427305

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 26.09.2019

अन्तर्देशीय कच्चा जूट-मूल्य समर्थन

	2018-2019		2017-2018	
	गांठ	रु.	गांठ	रु.
आय				
विक्रय	2,14,813	155,44,35,673	2,45,612	171,95,99,793
ढुलाई खर्च	–	4,34,80,303	–	1,65,82,190
अन्तर्देशीय कच्चा जूट वाणिज्यिक में स्थानांतरण	8,464	5,47,86,413	–	–
देयता अब बट्टे खाते में आवश्यक नहीं	–	1,96,09,135	–	1,37,02,524
ब्याज आय	–	2,89,60,795	–	3,09,45,531
बीमा दावे	–	10,25,665	–	–
विविध आय	–	5,64,766	–	4,87,404
पर्यवेक्षण प्रभार (परियोजनाओं)	–	33,37,552	–	–
सरकार से आर्थिक सहायता	–	50,00,00,000	–	46,78,00,000
पूर्व अवधि का समायोजन	–	18,65,486	–	–
शुद्ध समायोजन नामें/जमा की शेष राशि बट्टे खाते/वापस	–	–	–	–
वजन में कमी	–	–	–	–
अंतिम स्टॉक	46,303	26,00,01,715	1,61,061	104,25,27,694
शुद्ध हानि	–	–	–	–
	2,69,580	**246,80,68,003**	**4,06,673**	**329,16,45,136**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	1,61,061	104,25,27,694	55,236	29,97,49,370
क्रय	1,06,862	66,78,85,653	3,10,587	172,15,89,400
अन्तर्देशीय कच्चा जूट-वाणिज्यिक से स्थानांतरण	–	–	36,177	22,95,06,888
कर एवं लेवी		46,04,082		1,37,72,359
भाड़ा		5,39,88,343		5,21,37,166
परिचालन खर्चे		2,70,81,341		6,72,82,644
कर्मचारियों को भुगतान एवं प्रावधान		42,98,40,968		49,93,96,691
अन्य प्रशासनिक खर्चे		5,31,38,089		4,73,84,335
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार		1,10,80,706		1,49,01,110
गोदाम भाड़ा एवं भंडारण		1,75,01,299		1,18,93,275
बीमा		26,36,495		15,52,892
मूल्यह्रास		16,04,707		9,77,131
सेवा कर एवं जीएसटी		2,08,598		6,09,005
सेवा प्रभार		–		–
पूर्व अवधि का समायोजन		–		6,46,192
महसूल एवं कर		–		2,28,321
वजन में वृद्धि	1,657	–	4,673	–
आयकर के लिए प्रावधान		6,77,79,000		9,53,31,704
शुद्ध लाभ		8,81,91,028		23,46,86,653
	2,69,580	**246,80,68,003**	**4,06,673**	**329,16,45,136**

अन्तर्देशीय कच्चा जूट - वाणिज्यिक

	2018-2019		2017-2018	
	गांठ	रु.	गांठ	रु.
आय				
विक्रय	35,983	25,15,89,882	2,950	2,10,26,696
प्राप्त दावे-स्टॉक	6,209	4,01,93,917	–	–
अन्तर्देशीय कच्चा जूट मूल्य समर्थन में स्थानांतरण	–	–	36,177	22,95,06,888
प्राप्त ब्याज	–	–	–	–
सेवा प्रभार	–	–	–	–
वजन में हानि	–	–	–	–
अंतिम स्टॉक	29,342	17,32,48,126	63,070	34,71,94,645
शुद्ध हानि	–	–	–	6,21,42,575
	71,534	**46,50,31,925**	**1,02,197**	**65,98,70,804**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	63,070	34,71,94,645	1,02,197	64,71,72,442
क्रय	–	–	–	21,48,294
अन्तर्देशीय कच्चा जूट मूल्य समर्थन से स्थानांतरण	8,464	5,47,86,413	–	–
कर एवं लेवी	–	–	–	47,49,400
भाड़ा	–	1,04,21,515	–	6,26,210
परिचालन खर्चे	–	52,35,295	–	–
ब्याज	–	–	–	–
गोदाम भाड़ा एवं भंडारण	–	–	–	46,57,296
बीमा	–	4,26,726	–	5,17,162
असाधारण मदें	–	–	–	–
वजन में वृद्धि	–	–	–	–
आयकर का प्रावधान	–	2,04,10,325	–	–
शुद्ध लाभ	–	2,65,57,007	–	–
	71,534	**46,50,31,925**	**1,02,197**	**65,98,70,804**

जूट बीज

	2018-2019		2017-2018	
	क्विं.	रु.	क्विं.	रु.
आय				
विक्रय	5,714.88	3,22,50,722	6,447.29	5,80,79,183
एनजेबी से आर्थिक सहायता	–	–	–	–
सेवा प्रभार	–	16,12,536	–	–
अंतिम स्टॉक	383.89	24,43,834	1,109.72	87,53,471
क्षति	–	–	–	–
शुद्ध हानि	–	–	–	–
	6,098.77	**3,63,07,092**	**7,557.01**	**6,68,32,654**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	1,109.72	87,53,471	–	–
क्रय	4,989.05	2,59,43,060	7,557.01	5,96,09,695
भाड़ा	–	2,000	–	64,544
स्टॉक पुनर्वैधीकरण प्रभार	–	–	–	–
बीमा	–	–	–	–
स्थायी खर्च	–	–	–	–
जूट बीज की हैंडलिंग	–	14,648	–	50,820
आयकर का प्रावधान	–	6,92,658	–	24,59,796
शुद्ध लाभ	–	9,01,255	–	46,47,799
	6,098.77	**3,63,07,092**	**7,557.01**	**6,68,32,654**

विविध जूट उत्पाद

आय		
विक्रय	51,07,289	17,01,475
विविध की प्राप्ति	14,439	–
ब्याज	77,565	69,770
अंतिम स्टॉक	7,67,489	4,10,985
शुद्ध हानि	–	3,72,203
	59,66,782	**25,54,433**
व्यय		
क्रय	46,67,925	13,39,836
प्रारंभिक स्टॉक	4,10,985	5,10,678
बीमा	–	–
भाड़ा	66,646	–
अन्य खर्चे	1,11,462	5,25,397
बैंक प्रभार	8,366	6,758
छपाई एवं लेखन सामग्री	2,922	12,543
दूरभाष प्रभार	–	10,662
भ्रमण और यातायात	408	39,890
भाड़ा एवं रख-रखाव	90,734	1,08,669
आयकर के लिए प्रावधान	2,63,926	–
शुद्ध लाभ	3,43,408	–
	59,66,782	**25,54,433**